कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध) वन भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश

क्रमांक/एफ-5/1313/2025/ 971 भोपाल, दिनांक 20/03/25

प्रेषकः-

एच. एस. मोहन्ता, (भा.व.से.)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं
नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन,
लिंक रोड नं; 3, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल ।

विषयः-देवास जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-47 (पुराना-59ए) इन्दौर-हरदा मार्ग को फोरलेन किए जाने हेतु 39.367 हेक्टेयर (ऑनलाईन आवेदित 40.053 हेक्टेयर) वनभूमि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, हरदा को उपयोग पर देने बाबत। (ऑनलाईन प्रकरण क्रमांक FP/MP/ROAD/149883/2021**)**

संदर्भः- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल का पत्र क्रमांक 6-एपीआर043/2023-बीएचओ/I/74902 दिनांक 18.06.2024

--0--

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपने विषयांकित प्रकरण की प्रथम चरण सैद्धांतिक सशर्त स्वीकृति प्रदान की गई थी। सैद्धांतिक स्वीकृति पत्र में उल्लेखित शर्तों का पालन प्रतिवेदन निम्नानुसार हैः-

A- Conditions which need to be complied prior to handling to handing over of forest land by the State Forest Department

शर्त क्रमांक (1) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा नेट प्रजेन्ट वैल्यू की राशि रुपये 04,83,65,903/- ऑनलाईन कैम्पा मद में दिनांक 15.10.2024 को जमा की जा चुकी है।

शर्त क्रमांक (2) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा समस्त राशियां कैम्पा मद में दिनांक 15.10.2024 एवं 24.02.2025 को जमा कराई जा चुकी है।

शर्त क्रमांक (3) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा वनाधिकार अधिनियम के तहत कलेक्टर, देवास का प्रमाण पत्र दिनांक 04.10.2024 प्रस्तुत किया गया है, जो ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड है।

शर्त क्रमांक (4) के पालन में आवेदक संस्था द्वारा सड़क के किनारे-किनारे रोपण की राशि रू. 2,42,00,000/- ऑनलाईन कैम्पा मद में दिनांक 24.02.2025 को जमा की जा चुकी है।

शर्त क्रमांक (5) के पालन में आवेदक संस्था द्वारा वचन पत्र प्रस्तुत कर लेख किया गया है कि जो मक निकलेगा उसे मार्ग निर्माण में उपयोग में लिया जावेगा। वन क्षेत्र में नहीं डाला जावेगा।

शर्त क्रमांक (6) के पालन में व्यपवर्तित वनक्षेत्र एवं वैकल्पिक वृक्षारोपण की KML file e-green watch पोर्टल में अपलोड कर दिया गया है, जिसका ID no. 55029 है।

-2-

शर्त क्रमांक (7) के पालन में आवेदक संस्थान सहमत है।

शर्त क्रमांक (8) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों का पालन प्रतिवेदन पोर्टल में अपलोड कर दिया गया है।

शर्त क्रमांक (9) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा प्रकरण में आवेदक संस्थान द्वारा समतुल्य राजस्व भूमि खसरा क्रमांक 224/1 रकबा 36.00 हेक्टेयर एवं खसरा क्रमांक 5/1 रकबा 4.053 हेक्टेयर कुल 40.053 हेक्टेयर गैर वनभूमि उपलब्ध कराई गई है, जिसका उपयुक्तता प्रमाण पत्र, KML file पोर्टल में अपलोड है। जिओ रिफरेंस मैप आवेदक के पालन प्रतिवेदन के साथ अपलोड किया गया है। वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना एवं रोड साइड प्लांटेशन स्कीम नोडल अधिकारी के पालन प्रतिवेदन के साथ अपलोड है।

शर्त क्रमांक (10) के पालन में प्राप्त गैर वनभूमि का उपयुक्तता प्रमाण पत्र ऑनलाईन पोर्टल में अपलोड है।

B- Conditions which neet to be strictly complied on field after handling over of forest land to the User Agency by the Stae Forest Department but the compliance in sorm of undertaking shall be submitted prior to Stage-II approval:

शर्त क्रमांक (1) के पालन में आवेदक संस्थान सहमत है।

शर्त क्रमांक (2) के पालन में Additional NPV का वचनपत्र ऑनलाईन पोर्टल में अपलोड कर दिया गया है।

शर्त क्रमांक (3) से (15) के पालन में आवेदक संस्थान सहमत है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रथम चरण सैद्धांतिक स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन पूर्ण हो गया है। कृपया प्रकरण की अंतिम औपचारिक स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्नः-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

20.03.25

(एच.एस. मोहन्ता)

प्र.क्रमांक/F-5/विविध/2025/972 दिनांक: 20/03/25

प्रतिलिपिः-

1- वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, देवास, मध्यप्रदेश।

2- परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, हरदा।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

20.03.25

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport and Highways, Govt. of India)
परियोजना कार्यान्वयन इकाई / PROJECT IMPLEMENTATION UNIT
मकान नं. 54-55 (प्रथम तल), अमरलोक कॉलोनी, हरदा (म.प्र.)-461331
H.No. 54-55 (1st Floor) Amarlok Colony Harda (M.P.)-461331
दूरभाष / Phone : +91 75773 56227 ई-मेल / E-Mail ID: piuharda@nhai.org, nhaiharda@gmail.com

NHAI/PIU Harda/NH-47/R-N/Forest/2025/ 6018 — 25th February, 2025

To,

The APCCF (Land Management) and Nodal Officer,
Govt. of Madhya Pradesh
Block-C, Van Bhawan, Bhopal (M.P.)

Sub: Diversion of 39.367 ha (online proposed 40.053 ha) Reserved Forest land for Four laning of Indore-Harda Section of NH-59A (New NH-47) from Design km. 29.300/Existing Ch. 29.555 to Design km. 92.811/ Existing Ch. 95.000 in favour of Project Director, National Highway Authority of India in Dewas District of Madhya Pradesh. **(Online Proposal No. FP/MP/ROAD/149883/2021) - Submission of Compliance report as per condition stipulated in stage-I clearance (In-Principal Approval) - reg.**

Ref.:

(1) DFO Dewas letter no. 1181 dated 07.02.2025
(2) DFO Dewas letter no. 319 dated 08.01.2025
(3) DFO Dewas letter no. 317 dated 08.01.2025
(4) DFO Dewas letter no. 5561 dated 04.07.2024
(5) Regional Office, MoEF&CC Bhopal letter no 74902 dated 18.06.2024

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

Sir,

Please refer to the letter dated 18.06.2024 **(ref-4)** vide which, the Regional Officer, MoEF&CC, Bhopal has accorded "in-principle" approval (Stage-I clearance) for diversion of 39.367 ha (online proposed 40.053 ha) Reserved Forest land for Four laning of Indore-Harda Section of NH-59A (New NH-47) from Design km. 29.300/Existing Ch. 29.555 to Design km. 92.811/ Existing Ch. 95.000 based on the decision of Regional Empowered Committee in its 6 meeting of 2024 on 21/05/2024 for the forest online proposal no FP/MP/ROAD/149883/2021.

The point wise compliance of the conditions mentioned in aforesaid "in-principle" approval is as under:

SN	Conditions	Remarks
A.	**Conditions which need to be complied prior to handing over of forest land by the State Forest Department**	
1	The State Government shall charge Net Present Value (NPV) for the 39.367 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008. 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006, 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 8 5-3/2011-FC (Vol-I) dated 06/01/2022 in this regard.	The cost of NPV amount is **Rs.- 4,83,65,903/-** paid by RTGS UTR No CNRBR5202410159086 8170-UBIN0996335-MADHYA PRADESH CAMPA-/FAST/FAST in favour of CAMPA Fund dated 15.10.2024 against demand letter issued by DFO Dewas vide letter dated 04.07.2024 **(u/r 4).** The details are enclosed for ready reference **(Annexure-I)**

SN	Conditions	Remarks
2	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred / deposited in CAMPA fund only through e-portal (https://parivesh.nic.in/).	Agreed.
3	Complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	FRA certificate for division of forest land (39.367 ha) are hereby attached in **(Annexure-II)**
4	The road side plantation shall be carried out by the State Forest Department as per the scheme submitted and requisite fund shall be deposited in CAMPA by the Project Proponent.	The cost of road side plantation amount is **Rs. 2,42,20,000/-** paid by RTGS UTR No CNRBR52025022450574500 UBIN0996335-MADHYA PRADESH CAMPA-/FAST/FAST in favour of CAMPA Fund dated 24.02.2025 against demand letter issued by DFO Dewas vide letter dated 07.02.2025 **(u/r 1)**.. The details are enclosed for ready reference **(Annexure-III)**
5	The User Agency shall submit an undertaking that no muck shall be disposed off in forest land.	Agreed and undertaking attached in **(Annexure-IV)**
6	The KML files of Diverted and CA areas shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details prior to Stage-II Approval.	Pertaining to the state forest department.
7	Violation of any of these conditions will amount to violation of the Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per prescribed in para 1.21 of Chapter 1 of the Handbook of Comprehensive Guidelines of Forest (Conservation) Act, 1980 as issued by this Ministry's letter No.5-2/2017-FC dated 28.03.2019.	Agreed.
8	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in).	Agreed.
9	In view of guideline dated 27.12.2023, compensatory afforestation shall be carried out on equivalent non-forest land and accordingly details shall be submitted to the Regional Office, Bhopal along with the compensatory afforestation scheme, suitability certificate, and certificate of non-encumbrances. Digital map and the KML of the area.	The cost of Compensatory Afforestation amount is **Rs. 3,20,81,895/-** paid by RTGS UTR No CNRBR52025022450574500 UBIN0996335-MADHYA PRADESH CAMPA-/FAST/FAST in favour of CAMPA Fund dated 24.02.2025 against demand letter issued by DFO Dewas vide letter dated 08.01.2025 **(u/r 3).** and its supervision charge amount is **Rs. 32,08,190/-** paid by RTGS UTR No CNRB0002073040631122024069049 to 0406-01-800-0229 (Other Receipts Miscellaneous receipts) in favour of State forest department dated 31.12.2024 against demand letter issued by DFO Dewas vide letter dated 04.07.2024 **(u/r 2)**.. The details are enclosed for ready reference **(Annexure-III & Annexure- V)**

25/2/2025

SN	Conditions	Remarks
10	The working permission shall not be issued by the State Govt. in this project and the suitability of the area proposed for CA will be analysed by the REC prior to issue of "Final approval" in this project.	Agreed.
B.	**Conditions which need to be strictly complied on field after handing over of forest land to the User Agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Stage-II approval:**	
1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	Agreed.
2	Additional amount of NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall also be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	Agreed and undertaking attached in (**Annexure- VI)**
3	The User Agency shall restrict felling of trees to the enumerated 10422 numbers/minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department or the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department and State Forest Department shall undertake the felling.	Agreed.
4	Boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost.	Agreed.
5	User agency shall raise strip plantation on both sides and central verge of the road as per the IRC norms.	Agreed.
6	Speed regulating signage will be erected all along the road at regular intervals in the Protected Areas/Forest Areas.	Agreed.
7	Layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of the Central Government.	Agreed.
8	No labour camp shall be established on the forest land.	Agreed.
9	The User Agency shall provide alternate fuels preferably LPG to the labourers and staff working at the site so as to prevent any damage and pressure on the nearby forests.	Agreed.
10	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	Agreed.
11	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the project life.	Agreed.
12	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	Agreed.
13	The User Agency and the State Government shall ensure compliance to provisions of all the Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court Order(s) and National Green Tribunal Order(s) pertaining to this project, if any for the time being in force, as applicable to the project.	Agreed.
14	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies,	Agreed.

PD
25/2/2025

SN	Conditions	Remarks
	department or person without prior approval of the Central Government.	
15	Any other condition that the Ministry of Environment, Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forest & wildlife.	Agreed.

2. In view of the above, it is requested to accord working permission and grant Stage-II Clearance for taking up construction work and timely completion of aforesaid prestigious project of the Government of India on the said forest land falling under the Dewas Forest Division which will greatly facilitate and assist the transportation and livelihood of people residing in nearby areas.

Encl.: **As above.**

25.2.2025

(Manish Kumar Meena)
Project Director

Copy to:

- **The Regional Officer, Bhopal** - for kind information please.
- **The Divisional Forest Officer, Dewas (MP)** - for kind information please.

म.प्र. शासन - वन विभाग

कार्यालय वन मण्डल अधिकारी, वन मण्डल (क्षेत्रीय) देवास (म.प्र.)

☎ O: (07272) 253020, R (07272) 252449 Email- dfodewas@mpforest.org, dfodewas@rediffmail.com

क्रमांक/DM/2025/1181 देवास, दिनांक 07/02/2025

प्रति,

परियोजना निदेशक
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन ईकाई हरदा

विषय :– देवास जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 47 (पुरानी NH-59A) इन्दौर–हरदा मार्ग को फोरलेन किए जाने हेतु 39.367 हे. (ऑनलाईन आवेदित 40.053 हे.) वनभूमि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, हरदा को उपयोग पर देने बाबद।
online proposal no. FP/MP/Road/149883/2021)

संदर्भ :– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल का पत्र क्र. 6–एमपीआर 043/2023–बीएचओ/I/74902 एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध) भोपाल का पत्र क्र./एफ–5/1313/2023/10–11/3201 दिनांक 19.06.2024, वन संरक्षक उज्जैन वृत्त उज्जैन का पत्र क्र. 650 दिनांक 04.02.2025 एवं आपका पत्र क्र. 5733 दिनांक 20.01.2025।

—00—

उपरोक्त संदर्भित प्रकरण में देवास वनमण्डल में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 47 (पुराना NH-59A) इन्दौर–हरदा मार्ग को फोरलेन किए जाने हेतु 39.367 हे. (ऑनलाईन आवेदित 40.053 हे.) वनभूमि का व्यपवर्तन की प्रथम चरण की सशर्त स्वीकृति भारत सरकार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा प्रदान की गयी है। स्वीकृति में दी गयी शर्त क्र. 4 के पालन में रोड़ किनारे वृक्षारोपण योजना तैयार कर मुख्य वन संरक्षक उज्जैन के आदेश क्र. 10 दिनांक 04.02.2025 से तकनीकी स्वीकृति जारी की गयी है। रोड़ किनारे वृक्षारोपण योजना की राशि ऑनलाईन पोर्टल पर केम्पा मद में जमा कर रसीद एवं सैद्धांतिक स्वीकृति में दी गयी समस्त शर्तों का पालन प्रतिवेदन वचन पत्र सहित प्रस्तुत करें।

क्र.	अधिरोपित शर्त क्र.	मद का नाम	आवेदक संस्थान से वसूल की जाने वाली राशि (रूपये में)		मद
			अंको में	शब्दों में	
1	4	रोड़ किनारे वृक्षारोपण की राशि	2,42,20,000/–	रू. दो करोड़ बायलीस लाख बीस हजार मात्र	केम्पा मद (https://parivesh.nic.in/)
कुल			2,42,20,000/–	रू. दो करोड़ बायलीस लाख बीस हजार मात्र	

वनमण्डलाधिकारी 7/2/25
वनमण्डल(क्षेत्रीय), देवास

पृ.क्रमांक/DM/2025/1182 देवास, दिनांक 07/02/2025

प्रतिलिपि –

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध) वन भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ सादर संप्रेषित।
2. वन संरक्षक उज्जैन वृत्त उज्जैन की ओर सूचनार्थ सादर संप्रेषित।

प्रतिलिपी-
1. मैनेजर (तक)
2. स्टेनो
3. लेखाकार
4. साईट-इंजीनियर
5. कार्यालय सहायक
6. ...

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल(क्षेत्रीय), देवास

.d:\dm data_new\dm letter all\dm letter all 2025.docx139

CS CamScanner

म.प्र. शासन - वन विभाग

कार्यालय वन मण्डल अधिकारी, वन मण्डल (क्षेत्रीय) देवास (म.प्र.)

☎ O: (07272) 253020, R (07272) 252449 Email- dfodewas@mpforest.org, dfodewas@rediffmail.com

क्रमांक/DM/2025/ 319 देवास, दिनांक 8-1-25

प्रति,

परियोजना निदेशक
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन ईकाई हरदा

विषय :- देवास जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 47 (पुराना NH-59A) इन्दौर–हरदा मार्ग को फोरलेन किए जाने हेतु 39.367 हे. (ऑनलाईन आवेदित 40.053 हे.) वनभूमि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, हरदा को उपयोग पर देने बाबद।
online proposal no. FP/MP/Road/149883/2021)

संदर्भ :- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल का पत्र क्र. 6–एमपीआर 043/2023–बीएचओ/I/74902 एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध) भोपाल का पत्र क्र./एफ–5/1313/2023/10–11/3201 दिनांक 19.06.2024 ।

——00——

उपरोक्त संदर्भित प्रकरण में देवास वनमण्डल में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 47 (पुराना NH-59A) इन्दौर–हरदा मार्ग को फोरलेन किए जाने हेतु 39.367 हे. (ऑनलाईन आवेदित 40.053 हे.) वनभूमि का व्यपवर्तन की प्रथम चरण की सशर्त स्वीकृति भारत सरकार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा प्रदान की गयी है। स्वीकृति में दी गयी शर्त क्र. 9 के अनुसार पर्यवेक्षण राशि राजस्व मद में जमा कर रसीद एवं सैद्धांतिक स्वीकृति में दी गयी समस्त शर्तो का पालन प्रतिवेदन वचन पत्र सहित प्रस्तुत करें।

क्र.	अधिरोपित शर्त क्र.	मद का नाम	आवेदक संस्थान से वसूल की जाने वाली राशि (रूपये में)		मद
			अंको में	शब्दों में	
1	9	10 प्रतिशत पर्यवेक्षण शुल्क	32,08,190/–	रू. बत्तीस लाख आठ हजार एक सौ नब्बे	राजस्व मद "0406" वानिकी एवं वन्य जीवन (01) वानिकी, (800) अन्य प्राप्तियॉं, (0229) विविध प्राप्तियॉं ई–ट्रेजरी के माध्यम से वन विभाग देवास के नाम जमा किया जाना है।
कुल			32,08,190/–	रू. बत्तीस लाख आठ हजार एक सौ नब्बे	

(हस्ताक्षर) 8/01/25
वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल(क्षेत्रीय), देवास

पृ.कमांक/DM/2025/ 320 देवास, दिनांक 8-1-25

प्रतिलिपि –

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध) वन भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ सादर संप्रेषित।
2. वन संरक्षक उज्जैन वृत्त उज्जैन की ओर सूचनार्थ सादर संप्रेषित।

(हस्ताक्षर)
वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल(क्षेत्रीय), देवास

प्रतिलिपि-
1. मैनेजर (तक)
2. स्टेनो
3. लेखाकार
4. साईट-इंजीनियर
5. कार्यालय सहायक

d:\dm data_new\dm letter all\... 2025.docx36

म.प्र. शासन - वन विभाग

कार्यालय वन मण्डल अधिकारी, वन मण्डल (क्षेत्रीय) देवास (म.प्र.)

☎ O: (07272) 253020, R (07272) 252449 Email- dfodewas@mpforest.org, dfodewas@rediffmail.com

क्रमांक / DM / 2025 / 317 देवास, दिनांक 8-1-25

प्रति,

परियोजना निदेशक
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन ईकाई हरदा

विषय :- देवास जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 47 (पुराना NH-59A) इन्दौर-हरदा मार्ग को फोरलेन किए जाने हेतु 39.367 हे. (ऑनलाईन आवेदित 40.053 हे.) वनभूमि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, हरदा को उपयोग पर देने बाबद।
online proposal no. FP/MP/Road/149883/2021)

संदर्भ :- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल का पत्र क्र. 6-एमपीआर 043/2023-बीएचओ/I/74902 एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध) भोपाल का पत्र क्र./एफ-5/1313/2023/10-11/3201 दिनांक 19.06.2024 ।

——00——

उपरोक्त संदर्भित प्रकरण में देवास वनमण्डल में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 47 (पुराना NH-59A) इन्दौर-हरदा मार्ग को फोरलेन किए जाने हेतु 39.367 हे. (ऑनलाईन आवेदित 40.053 हे.) वनभूमि का व्यपवर्तन की प्रथम चरण की सशर्त स्वीकृति भारत सरकार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा प्रदान की गयी है। स्वीकृति में दी गयी शर्त क्र. 9 के अनुसार वृक्षारोपण राशि ऑनलाईन पोर्टल पर केम्पा मद में जमा कर रसीद एवं सैद्धांतिक स्वीकृति में दी गयी समस्त शर्तो का पालन प्रतिवेदन वचन पत्र सहित प्रस्तुत करें।

क्र.	अधिरोपित शर्त क्र.	मद का नाम	आवेदक संस्थान से वसूल की जाने वाली राशि (रूपये में)		मद
			अंको में	शब्दों में	
1	9	वृक्षारोपण की राशि	3,20,81,895/-	रू. तीन करोड़ बीस लाख इकक्यासी हजार आठ सौ पिचयानवे	केम्पा मद (https://parivesh.nic.in/)
कुल			3,20,81,895/-	रू. तीन करोड़ बीस लाख इकक्यासी हजार आठ सौ पिचयानवे	

8/01/25

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल(क्षेत्रीय), देवास

पृ.कमांक / DM / 2025 / 318. देवास, दिनांक 8-1-25

प्रतिलिपि -

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध) वन भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ सादर संप्रेषित।
2. वन संरक्षक उज्जैन वृत्त उज्जैन की ओर सूचनार्थ सादर संप्रेषित।

प्रतिलिपि -
1. मैनेजर (तक)
2. स्टेनो
3. लेखाकार
4. साईट-इंजीनियर
5. कार्यालय सहायक
6. यंग होर्टीकल्चर ...

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल(क्षेत्रीय), देवास

d:\dm data_new\dm letter\...\2025.docx35

30/01/2025

म.प्र. शासन - वन विभाग

कार्यालय वन मण्डल अधिकारी, वन मण्डल (क्षेत्रीय) देवास (म.प्र.)

☎ O: (07272) 253020, R (07272) 252449 Email- dfodewas@mpforest.org, dfodewas@rediffmail.com

क्रमांक / DM / 2024 / 5561 देवास, दिनांक 4-7-2024

प्रति,

परियोजना निदेशक
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन ईकाई हरदा

(भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, प्राप्ति क्र. 8816, प्राप्ति दि. 05/07/24, परियोजना कार्यान्वयन ईकाई, हरदा)

विषय :- देवास जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 47 (पुराना NH-59A) इन्दौर–हरदा मार्ग को फोरलेन किए जाने हेतु 39.367 हे. (ऑनलाईन आवेदित 40.053 हे.) वनभूमि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, हरदा को उपयोग पर देने बाबद।
online proposal no. FP/MP/Road/149883/2021)

संदर्भ :- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल का पत्र क्र. 6–एमपीआर 043/2023–बीएचओ/I/74902 एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध) भोपाल का पत्र क्र./एफ–5/1313/2023/10–11/3201 दिनांक 19.06.2024 ।

——00——

उपरोक्त संदर्भित प्रकरण में देवास वनमण्डल में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 47 (पुराना NH-59A) इन्दौर–हरदा मार्ग को फोरलेन किए जाने हेतु 39.367 हे. (ऑनलाईन आवेदित 40.053 हे.) वनभूमि का व्यपवर्तन की प्रथम चरण की सशर्त स्वीकृति भारत सरकार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा प्रदान की गयी है। स्वीकृति में दी गयी शर्त क्र. 1 के अनुसार एन.पी.व्ही. राशि ऑनलाईन पोर्टल पर केम्पा मद में जमा कर रसीद एवं प्रथम चरण की स्वीकृति में दी गयी समस्त शर्तो का पालन प्रतिवेदन वचन पत्र सहित प्रस्तुत करें।

क्र.	मद	रकबा (हेक्टर मे)	घनत्व	ईको क्लास श्रेणी	राशि	रिमार्क
1	नेट प्रजेण्ट वैल्यू	39.367	0.6	3	48365903	-
योग राशि					48365903	-

राजस्व विभाग से संपर्क कर शर्त क्र. ए(9) के पालन में प्रभावित वनक्षेत्र के एवज में राजस्व भूमि उपलब्ध करवाकर वन विभाग के पक्ष में जिला कलेक्टर देवास का आदेश, नामांतरण, फार्म पी–2, सीमांकन, केएमएल फाईल प्रस्तुत करे ताकि वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना तैयार कर मांग पत्र जारी किया जा सके।

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल(क्षेत्रीय), देवास

पृ.क्रमांक / DM / 2024 / 5562 देवास, दिनांक 4-7-2024

प्रतिलिपि –

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध) वन भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ सादर संप्रेषित।
2. वन संरक्षक उज्जैन वृत्त उज्जैन की ओर सूचनार्थ सादर सप्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल(क्षेत्रीय), देवास

M(T) PD 5/07/2024 4/5/7 SE-KS

d:\dm data_new\dm letter all\dm letter all 2024 (autorecovered).docx548

CS CamScanner

भारत सरकार /GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल/ REGIONAL OFFICE, BHOPAL
Kendriya Paryavaran Bhavan, Link Road No.3, E-5, Ravi Shankar Nagar,
BHOPAL – 462016 (M.P.)
TEL: 0755-2466525 E-mail: rowz.bpl-mef@nic.in

क्रमांक 6-एमपीआर 043/2023-बीएचओ/I/74902 दिनांक : 18/06/2024.

प्रति,

प्रधान सचिव (वन)
मध्यप्रदेश शासन,
वल्लभ भवन, भोपाल ।

विषय: देवास जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-47 (पुराना-59 ए) इन्दौर-हरदा मार्ग को फोरलेन किए जाने हेतु 39.367 हेक्टेयर (ऑनलाईन आवेदित 40.053 हेक्टेयर) वनभूमि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, हरदा को उपयोग पर देने बाबत (FP/MP/Road/149883/2021).

Sir,

This refers to letter Nos. F-5/1313/2023/10-11/5029 dated 14/11/2023, 1038 dated 14/02/2024 and 2662 dated 20/05/2024 of APCCF (LM), Nodal Officer, Govt. of Madhya Pradesh on the above mentioned subject seeking prior approval of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change under section 2 of the Forest (Conservation) Act, 1980.

After due consideration of the proposal of the State Government and on the decision of Regional Empowered Committee in its 6th meeting of 2024 on 21/05/2024, **"in-principle" approval** of the Central Government, is hereby conveyed for diversion of 39.367 ha (online proposed 40.053 ha) Reserved Forest land for Four laning of Indore-Harda Section of NH-59A (New NH-47) from Design km. 29.300/Existing Ch. 29.555 to Design km. 92.811/Existing Ch. 95.000 in favour of Project Director, National Highway Authority of India in Dewas District of Madhya Pradesh, subject to following conditions and stipulations:

A: Conditions which need to be complied prior to handing over of forest land by the State Forest Department

(1) The State Government shall charge Net Present Value (NPV) for the **39.367 ha** forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006, 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 & 5-3/2011-FC(Vol-I) dated 06/01/2022 in this regard.

(2) All the funds received from the user agency under the project shall be transferred / deposited in CAMPA fund only through e-portal (https://parivesh.nic.in/).

(3) Complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.

(4) ***The road side plantation shall be carried out by the State Forest Department as per the scheme submitted and requisite fund shall be deposited in CAMPA by the Project Proponent.***

(5) ***The User Agency shall submit an undertaking that no muck shall be disposed off in forest land.***

(6) The KML files of Diverted and CA areas shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details prior to Stage-II Approval.

(7) Violation of any of these conditions will amount to violation of the Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per prescribed in para 1.21 of Chapter 1 of the Handbook of Comprehensive Guidelines of Forest (Conservation) Act, 1980 as issued by this Ministry's letter No.5-2/2017-FC dated 28.03.2019.

(8) The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/).

(9) **In view of guideline dated 27.12.2023, compensatory afforestation shall be carried out on equivalent non-forest land and accordingly details shall be submitted to the Regional Office, Bhopal along with the compensatory afforestation scheme, suitability certificate, certificate of non-encumbrances, digital map and the KML of the area.**

(10) **The working permission shall not be issued by the State Govt. in this project and the suitability of the area proposed for CA will be analysed by the REC prior to issue of "Final approval" in this project.**

B: Conditions which need to be strictly complied on field after handing over of forest land to the User Agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Stage-II approval:

(1) Legal status of the forest land shall remain unchanged.

(2) Additional amount of NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall also be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.

(3) The User Agency shall restrict felling of trees to the enumerated **10422 numbers/minimum** number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department or the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department and State Forest Department shall undertake the fellings.

(4) Boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost.

(5) ***User agency shall raise strip plantation on both sides and central verge of the road as per the IRC norms.***

(6) ***Speed regulating signages will be erected all along the road at regular intervals in the Protected Areas/ Forest Areas.***

(7) Layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of the Central Government.

(8) No labour camp shall be established on the forest land.

(9) The User Agency shall provide alternate fuels preferably LPG to the labourers and staff working at the site so as to prevent any damage and pressure on the nearby forests.

(10) No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.

(11) The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the project life.

(12) The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.

(13) The User Agency and the State Government shall ensure compliance to provisions of all the Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court Order(s) and National Green Tribunal Order(s) pertaining to this project, if any for the time being in force, as applicable to the project.

(14) The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of the Central Government.

(15) Any other condition that the Ministry of Environment, Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forest & wildlife.

After receipt of the compliance report regarding fulfillment of the conditions as stipulated above, from the State Government, formal approval will be issued in this regard under Section 2 of Forest (Conservation) Act, 1980.

This has been issued with the approval of competent authority.

(डॉ. योगेश गैरोला)
Signed by Yogesh Gairola तकनीकी अधिकारी(वानिकी)
Date: 18-06-2024 09:58:54

प्रतिलिपि:

1. वन महानिरीक्षक(एफसी), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, नई दिल्ली ।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(भू-प्रबंध) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, वन भवन, तुलसीनगर, भोपाल ।
3. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल देवास, मध्यप्रदेश ।
4. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, हरदा, मध्यप्रदेश ।
5. आदेश पत्रावली ।

(डॉ. योगेश गैरोला)
तकनीकी अधिकारी(वानिकी)

ANNXURE - I

TRANS DATE	VALUE DATE	BRANCH	REF/CHQ.NO	DESCRIPTION	WITHDRAWS	DEPOSIT	BALANCE
				ICIC0SF0002-RISHIRAJ SINGH--BULD43182839			
09-OCT-24	09-OCT-24	33		NEFT CR-37891731391DC-ICIC0SF0002-RISHIRAJ SINGH--BULD43182839	0.00	7,644.00	10,691,912.00
10-OCT-24	10-OCT-24	33		NEFT CR-37907795531DC-ICIC0SF0002-RISHIRAJ SINGH--BULD43248446	0.00	17.00	10,691,929.00
10-OCT-24	10-OCT-24	33		NEFT CR-37907794001DC-ICIC0SF0002-RISHIRAJ SINGH--BULD43248446	0.00	7,644.00	10,699,573.00
11-OCT-24	11-OCT-24	33		NEFT CR-37921369531DC-ICIC0SF0002-RISHIRAJ SINGH--BULD43303637	0.00	18.00	10,699,591.00
11-OCT-24	11-OCT-24	33		NEFT CR-37921375901DC-ICIC0SF0002-RISHIRAJ SINGH--BULD43303637	0.00	7,644.00	10,707,235.00
14-OCT-24	14-OCT-24	33		NEFT CR-37941802721DC-ICIC0SF0002-RISHIRAJ SINGH--BULD43368976	0.00	30.00	10,707,265.00
14-OCT-24	14-OCT-24	33		NEFT CR-37941800741DC-ICIC0SF0002-RISHIRAJ SINGH--BULD43368976	0.00	15,289.00	10,722,554.00
15-OCT-24	15-OCT-24	33		NEFT CR-RBI2902469473938-RBIS0PFMS01-CS-NHAI-FARO, BHOPAL-NATIONAL HIGHWA-	0.00	48,365,903.00	59,088,457.00
15-OCT-24	15-OCT-24	33		NEFT CR-37952997261DC-ICIC0SF0002-ROADLINK INFRATECH P--BULD43416089	0.00	80.00	59,088,537.00
15-OCT-24	15-OCT-24	33		NEFT CR-37952997051DC-ICIC0SF0002-ROADLINK INFRATECH P--BULD43416089	0.00	57,540.00	59,146,077.00
15-OCT-24	15-OCT-24	17930	000000000000	RTGS DR-CNRBR52024101590868170-UBIN0996335-MADHYA PRADESH CAMPA-/FAST/FAST	48,365,903.00	0.00	10,780,174.00
15-OCT-24	15-OCT-24	33		NEFT CR-37954005161DC-ICIC0SF0002-RISHIRAJ SINGH--BULD43421604	0.00	10.00	10,780,184.00
15-OCT-24	15-OCT-24	33		NEFT CR-37954003531DC-ICIC0SF0002-RISHIRAJ SINGH--BULD43421604	0.00	7,644.00	10,787,828.00
16-OCT-24	16-OCT-24	33		NEFT CR-RBI2912470254608-RBIS0PFMS01-CS-NHAI-FARO, BHOPAL-NATIONAL HIGHWA-	0.00	4,500.00	10,792,328.00
16-OCT-24	16-OCT-24	33		NEFT CR-RBI2912470252643-RBIS0PFMS01-CS-NHAI-FARO, BHOPAL-NATIONAL HIGHWA-	0.00	42,382.00	10,834,710.00
16-OCT-24	16-OCT-24	33		NEFT CR-	0.00	13.00	10,834,723.00

NEFT RTGS CHALLAN

AGENCY COPY

यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया Union Bank of India

आन्ध्रा Andhra | कार्पोरेशन Corporation

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 12-07-2024

Agency Name.	NHAI PIU HARDA
Application No.	61149883304
MoEF/SG File No.	6-MPR043/2023-BHO
Location.	MADHYA PRADESH
Address.	H.No, 54-55 1st floorHarda
Amount(In Rs)	48365903/-

Amount In Words :Four Crore Eighty-Three Lakh Sixty-Five Thousand Nine Hundred and Three Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	MADHYA PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1507661149883304 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया Union Bank of India

आन्ध्रा Andhra | कार्पोरेशन Corporation

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 12-07-2024

Agency Name.	NHAI PIU HARDA
Application No.	61149883304
MoEF/SG File No.	6-MPR043/2023-BHO
Location.	MADHYA PRADESH
Address:	H.No, 54-55 1st floor Harda
Amount(In Rs)	48365903/-

Amount In Words :Four Crore Eighty-Three Lakh Sixty-Five Thousand Nine Hundred and Three Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	MADHYA PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1507661149883304 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

CamScanner

ANNEXURE – II

FORM-I
(for linear projects)
Government of Madhya Pradesh
Office of the District Collector
*****

No. 3541 Dated, 04/10/2024 14/10/2024

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEF&CC), Government of India's letter No.11-9/98 FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF&CC issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF&CC letter dated 5th February 2013 wherein MoEF&CC issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **39.367** hectare of forest land proposed to be diverted in favour of Project Director, Project Implementation Unit, Harda, Madhya Pradesh, "**Four Laning of Indore Harda Section of NH-59 A (New NH-47) from Design Km. 29.300/Existing Ch.29.555 to Design Km. 92.971/Existing Ch. 95.000**" in Dewas district within jurisdiction of Raghogarh & Baroli (Tehsil Dewas), Karnawad, Karaundiya, Khedhakhal (Tehsil Bagli), Sundrel (Tehsil Satwas), Bagankhedha, Kiloda & Hathnori (Tehsil Kannod) Village.

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire **39.367** hectares of forest area proposed for diversion.

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;

(c) The proposal does not involve recognized right of Primitive Tribal Groups and Pre- agricultural communities.

Encls.: As above

Signature
(Full name and official seal of the District Collector)
जिला देवास (म.प्र.)

CS CamScanner

ANNEXURE- III

ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ Canara Bank

सिंडिकेट Syndicate

Current & Saving Account Statement

NHAI PIU HARDA TAX ACCOUNT
FIRST FLOOR
54/55
AMARLOK COLONY
HARDA, MADHYA PRADESH, INDIA - 461331

Account Statement as of 25-02-2025 18:22:36 +0530

Account Holders Name	NHAI PIU HARDA TAX ACCOUNT
Customer Id	322326786
Branch Name	HARDA
MICR Code	461015102
IFSC Code	CNRB0017930
Searched By	From 22 Feb 2025 To 25 Feb 2025
Account Number	120026329155
Account Currency	INR
Product Name	CURRENT ACCOUNT- GENERAL
Opening Balance	Rs. 1,72,96,276.00
Closing Balance	Rs. 1,64,75,612.00

Txn Date	Value Date	Cheque No.	Description	Branch Code	Debit	Credit	Balance
24-02-2025 15:56:39	24 Feb 2025		NEFT Cr-IBKL250224448187-IBKL0NEFT01-NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA-	33		5,23,63,761.00	6,96,60,037.00
24-02-2025 15:56:39	24 Feb 2025		NEFT Cr-IBKL250224448189-IBKL0NEFT01-NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA-	33		18,99,083.00	7,15,59,120.00
24-02-2025 19:07:25	24 Feb 2025	000000000000	RTGS Dr-CNRBR52025022450572714-UBIN0996335-MADHYA PRADESH CAMPA-/FAST/FAST	17930	5,63,01,895.00		1,52,57,225.00
24-02-2025 19:40:13	24 Feb 2025		RTGS Rev UBIN0996335 MADHYA PRADESH CAMPA HARDA CNRBR52025022450572714	17930		5,63,01,895.00	7,15,59,120.00

CANARA BANK
केनरा बैंक

केनरा बैंक Canara Bank

सिंडिकेट Syndicate

Txn Date	Value Date	Cheque No.	Description	Branch Code	Debit	Credit	Balance
[redacted]							
25-02-2025 13:05:06	25 Feb 2025		NEFT Cr-ICIN405655512873-ICIC0SF0002-ROADLINK INFRATECH PRIVATE LIMITED-	33		57,540.00	1,53,14,765.00
25-02-2025 13:09:03	25 Feb 2025		NEFT Cr-ICIN405655512884-ICIC0SF0002-ROADLINK INFRATECH PRIVATE LIMITED-	33		805.00	1,53,15,570.00
25-02-2025 14:17:32	25 Feb 2025		NEFT Cr-IBKL250225539410-IBKL0NEFT01-NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA-	33		10,98,187.00	1,64,13,757.00
25-02-2025 17:42:27	25 Feb 2025		NEFT Cr-KKBKH25056925362-KKBK0000958-NEERAJ KUMAR-	33		61,855.00	1,64,75,612.00

Disclaimer:

Unless the constituent brings to the notice of the bank any discrepancy/ errors/ omission/ unauthorised debits immediately, the entries in such pass sheet shall be deemed as correct and shall bind the constituent for all purposes and intents beware of phishing attacks through emails or fake website IMB users are requested to note that Canara Bank does not seek any information through email. Do not click on any link which has come through email from unexpected sources. It may contain malicious code or could be an attempt to "phish". Always login through www.canarabank.com. Please beware of phishing change in the address of Account holder/ PA holder, if any, may please be informed to the branch along with address proof.

If you have any Banking Grievance, lodge complaint in https://canarabank.net.in/cpgrs/login.aspx. If not satisfied with the resolution, you can contact Banking Ombudsman:

Centralized Receipt & Processing Center (CRPC) Office of Banking Ombudsman,
Reserve Bank of India,
4th Floor, Central Vista,
Sector-17, Chandigarh-160017
Toll Free No 14448
Online Complaint Registration Portal: https://cms.rbi.org.in

---------------------------- END OF STATEMENT ----------------------------

CANARA BANK केनरा बैंक

AGENCY COPY

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 13-02-2025

Agency Name.	NHAI PIU HARDA
Application No.	61149883077
MoEF/SG File No.	6-MPR043/2023-BHO
Location.	MADHYA PRADESH
Address.	H.No, 54-55 1st floorHarda
Amount(in Rs)	56301895/-

Amount In Words :Five Crore Sixty-Three Lakh One Thousand Eight Hundred and Ninety-Five Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	MADHYA PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1507661149883077 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 13-02-2025

Agency Name.	NHAI PIU HARDA
Application No.	61149883077
MoEF/SG File No.	6-MPR043/2023-BHO
Location.	MADHYA PRADESH
Address:	H.No, 54-55 1st floor Harda
Amount(in Rs)	56301895/-

Amount In Words :Five Crore Sixty-Three Lakh One Thousand Eight Hundred and Ninety-Five Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	MADHYA PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1507661149883077 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

ANNXURE - IV

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport and Highways, Govt. of India)
परियोजना कार्यान्वयन इकाई / PROJECT IMPLEMENTATION UNIT
मकान नं. 54-55 (प्रथम तल), अमरलोक कॉलोनी, हरदा (म.प्र.)-461331
H.No. 54-55 (1st Floor) Amarlok Colony Harda (M.P.)-461331
दूरभाष / Phone : 8130006196 ई-मेल / E-Mail ID: piuharda@nhai.org, nhaiharda@gmail.com

MUCK DISPOSAL CERTIFICATE

Sub: Diversion of 39.367 ha (online proposed 40.053 ha) Reserved Forest land for Four laning of Indore-Harda Section of NH-59A (New NH-47) from Design km. 29.300/Existing Ch. 29.555 to Design km. 92.811/ Existing Ch. 95.000 in favour of Project Director, National Highway Authority of India in Dewas District of Madhya Pradesh on Hybrid Annuity Mode.

Proposal No - FP/MP/ROAD/149883/2021

It is certified that the excavated material obtained from the construction of above-mentioned work shall be used in refilling of the road work as such no dumping site in the forest land is required.

(Manish Kumar Meena)
Project Director
NHAI, PIU-Harda

Place: Madhya Pradesh
Date: 13/02/2025

ANNEXURE - V

Department of Finance , Government of Madhya Pradesh
Acknowledgement Receipt for Online Tax Payment
to M.P. State Government

TIN (Tax payment Identification Number) / Enrollment / Registration No.	-
Depositor/Dealer Name	NHAI PIU HARDA
Address	54/55 AMARLOK COLONY, HARDA, , Harda, Madhya Pradesh - 461331
District selected for Payment	Dewas
Unique Registration Number (URN)	MPTURN311220240009519
Department and Office Name	Common Challan Entry,
Challan Payment Period	2024-2025

Purpose Details

CRN	Assessment/ Concerning Period	Head of Account	Challan Identification Number (CIN)	Challan No.	Amount(Rs.)
MPT040631122024000220	2024-12-31 to 2024-12-31	0406-01-800-0229 (Other Receipts-Miscellaneous receipts)	CNRB0002073040631122024069049	051/9999999/0406/12/24/005291	3208190.00

Total Amount(in figures)	32,08,190.00
Total Amount(in words)	Thirty Two Lakh Eight Thousand One Hundred Ninety Rupees Only
Name and Code of the Bank	CANARA BANK (15)
Bank Reference Number	207331122024269075
Scroll No	20241231
Scroll Date	31/12/2024
Date of Transaction / Time of Transaction (HH24:mm:ss)	31/12/2024 15:55:56
Transaction Status	Success

ANNEXURE - VI

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport and Highways, Govt. of India)
परियोजना कार्यान्वयन इकाई / PROJECT IMPLEMENTATION UNIT
मकान नं. 54-55 (प्रथम तल), अमरलोक कॉलोनी, हरदा (म.प्र.)-461331
H.No. 54-55 (1st Floor) Amarlok Colony Harda (M.P.)-461331
दूरभाष / Phone : 8130006196 ई-मेल / E-Mail ID: piuharda@nhai.org, nhaiharda@gmail.com

UNDERTAKING FOR ADDITIONAL AMOUNT OF NET PRESENT VALUE (NPV) OF FOREST AREA

It is certified that I, **Manish Kumar Meena, project Director, NHAI, PIU-Harda,** do hereby undertaken on behalf of NHAI that we have applied for diversion of 39.367 ha (online proposed 40.053 ha) Reserved Forest land for Four laning of Indore-Harda Section of NH-59A (New NH-47) from Design km. 29.300/Existing Ch. 29.555 to Design km. 92.811/ Existing Ch. 95.000 in favour of Project Director, National Highway Authority of India in Dewas District of Madhya Pradesh on Hybrid Annuity Mode. **(Online Proposal No. FP/MP/ROAD/149883/2021)**

I/We, hare by undertaken to pay the amount of Net Present Value (NPV) of the above forest land and other cost, as decided by the States Government or per decision of Hon'ble Supreme Court of India. In case of revision of rates, the difference amount will also be paid by the user agency.

(Manish Kumar Meena)
Project Director
NHAI, PIU-Harda

Place: Madhya Pradesh
Date: 13/02/2025

क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण – पत्र

बिगड़ें वनों के सुधार योजना अंतर्गत मिश्रित वृक्षारोपण मोहम्मदखेडा पीएफ क्षेत्र [illegible]ति जमोनिया संलग्न प्रोजेक्ट अनुसार देवास वनपरिक्षेत्र के राजस्व सर्वे नंबर 224/01 [illegible]का कुल रकबा 36.00 हे. रोपण हेतु उपयुक्त है। क्षेत्र का वन घनत्व 0.2से 0.3 है,

वनपरिक्षेत्र अधिकारी	उपवनमण्डल अधिकारी	वनमण्डलाधिकारी
वनपरिक्षेत्र क्षै. देवास	उपवनमण्डल देवास (सा.)	वनमण्डल देवास (सा)

रोपण स्थल प्रमाण – पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मोहम्मदखेडा पीएफ क्षेत्र समिति रायपुर संलग्न
...अनुसार देवास वनपरिक्षेत्र के राजस्व सर्वे नंबर 224/01 जिसका कुल रकबा 36.00
...रोपण हेतु उपयुक्त है। रोपण वर्ष 2024–25 का निरीक्षण किया गया। मृदा की गहराई
...03 फीट है। जो कि रोपण के लिए उपयुक्त होकर बीएल–2, यूएस–2 के समतुल्य है।
...का परिक्षण कराया गया। क्षेत्र का वन घनत्व 0.2 से 0.3 है। जो कि रोपण हेतु उपयुक्त

वनपरिक्षेत्र अधिकारी
वनपरिक्षेत्र क्षे. देवास

उपवनमण्डल अधिकारी
उपवनमण्डल देवास (सा.)

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल देवास (सा)

GEO REFERENCE MAP

Compensatory Afforestation Land (Non Forest Land)

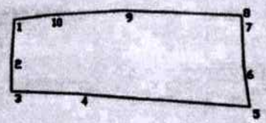

Point	Degrees, minutes and seconds	
	Latitude	Longitude
1	23° 8' 28.476" S	76° 17' 42.285" W
2	23° 8' 26.74" S	76° 17' 42.047" W
3	23° 8' 25.139" S	76° 17' 41.953" W
4	23° 8' 34.85" S	76° 17' 46.365" W
5	23° 8' 23.836" S	76° 17' 54.055" W
6	23° 8' 25.718" S	76° 17' 53.885" W
7	23° 8' 28.114" S	76° 17' 53.842" W
8	23° 8' 28.171" S	76° 17' 53.774" W
9	23° 8' 28.672" S	76° 17' 47.881" W
10	23° 8' 28.613" S	76° 17' 44.051" W

Khasra No- 5/1, Area- 4.053 Hectare in Village Mohammad Kheda Tahsil Tonk Khurd Dist. Dewas(M.P.)

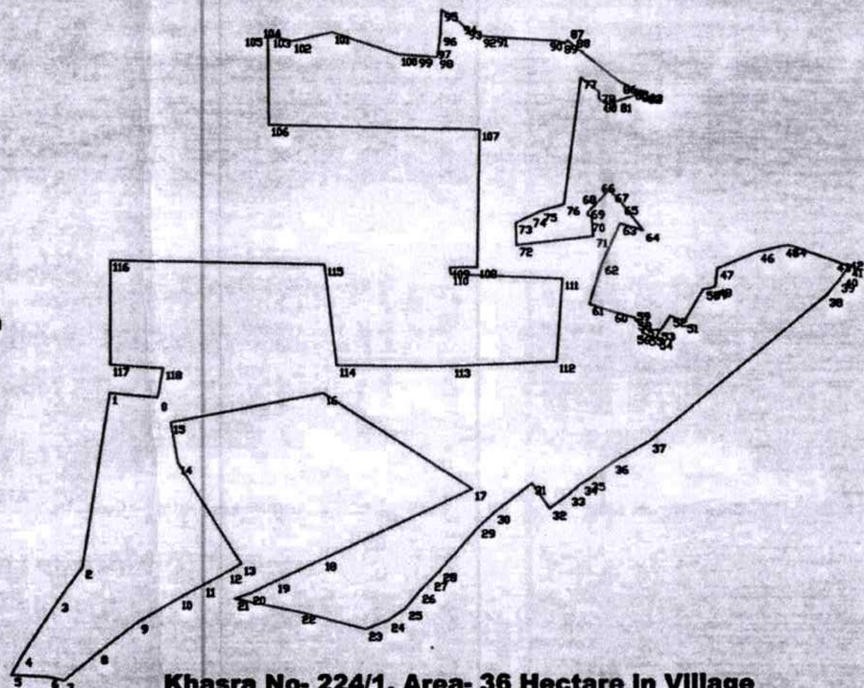

Point	Degrees, minutes and seconds	
	Latitude	Longitude
0	23° 7' 31.094" S	76° 17' 23.242" W
1	23° 7' 31.41" S	76° 17' 20.816" W
2	23° 7' 23.231" S	76° 17' 19.013" W
3	23° 7' 21.71" S	76° 17' 17.732" W
4	23° 7' 19.208" S	76° 17' 15.772" W
5	23° 7' 18.305" S	76° 17' 15.176" W
6	23° 7' 18.122" S	76° 17' 17.048" W
7	23° 7' 17.913" S	76° 17' 17.819" W
8	23° 7' 19.151" S	76° 17' 19.588" W
9	23° 7' 20.513" S	76° 17' 21.687" W
10	23° 7' 21.522" S	76° 17' 23.826" W
11	23° 7' 22.066" S	76° 17' 25.092" W
12	23° 7' 22.639" S	76° 17' 26.347" W
13	23° 7' 22.989" S	76° 17' 27.081" W
14	23° 7' 27.902" S	76° 17' 24.107" W
15	23° 7' 29.859" S	76° 17' 23.847" W
16	23° 7' 30.864" S	76° 17' 31.673" W
17	23° 7' 25.978" S	76° 17' 39.045" W
18	23° 7' 23.019" S	76° 17' 31.189" W
19	23° 7' 22.075" S	76° 17' 28.736" W
20	23° 7' 21.571" S	76° 17' 27.449" W
21	23° 7' 21.356" S	76° 17' 26.664" W
22	23° 7' 20.565" S	76° 17' 29.876" W
23	23° 7' 19.611" S	76° 17' 33.248" W
24	23° 7' 19.976" S	76° 17' 34.41" W
25	23° 7' 20.502" S	76° 17' 35.333" W
26	23° 7' 21.254" S	76° 17' 36.065" W
27	23° 7' 21.812" S	76° 17' 36.718" W
28	23° 7' 22.205" S	76° 17' 37.193" W
29	23° 7' 24.18" S	76° 17' 39.273" W
30	23° 7' 24.807" S	76° 17' 40.118" W
31	23° 7' 26.108" S	76° 17' 42.105" W
32	23° 7' 24.865" S	76° 17' 42.94" W
33	23° 7' 25.481" S	76° 17' 43.937" W
34	23° 7' 25.968" S	76° 17' 44.624" W
35	23° 7' 26.149" S	76° 17' 45.004" W
36	23° 7' 26.805" S	76° 17' 46.242" W
37	23° 7' 27.813" S	76° 17' 48.198" W
38	23° 7' 34.306" S	76° 17' 57.555" W
39	23° 7' 34.961" S	76° 17' 58.198" W
40	23° 7' 35.211" S	76° 17' 58.419" W

Point	Degrees, minutes and seconds	
	Latitude	Longitude
41	23° 7' 35.647" S	76° 17' 58.777" W
42	23° 7' 35.715" S	76° 17' 58.62" W
43	23° 7' 35.947" S	76° 17' 58.056" W
44	23° 7' 36.764" S	76° 17' 55.858" W
45	23° 7' 36.75" S	76° 17' 55.488" W
46	23° 7' 36.556" S	76° 17' 54.209" W
47	23° 7' 35.862" S	76° 17' 52.109" W
48	23° 7' 35.015" S	76° 17' 51.958" W
49	23° 7' 34.924" S	76° 17' 51.756" W
50	23° 7' 34.904" S	76° 17' 51.345" W
51	23° 7' 33.403" S	76° 17' 50.262" W
52	23° 7' 33.73" S	76° 17' 49.58" W
53	23° 7' 32.798" S	76° 17' 48.846" W
54	23° 7' 32.693" S	76° 17' 48.812" W
55	23° 7' 32.902" S	76° 17' 48.305" W
56	23° 7' 33" S	76° 17' 48.101" W
57	23° 7' 33.156" S	76° 17' 48.242" W
58	23° 7' 33.656" S	76° 17' 47.78" W
59	23° 7' 33.708" S	76° 17' 47.779" W
60	23° 7' 34.081" S	76° 17' 46.618" W
61	23° 7' 34.46" S	76° 17' 45.499" W
62	23° 7' 36.375" S	76° 17' 46.243" W
63	23° 7' 38.191" S	76° 17' 47.255" W
64	23° 7' 37.814" S	76° 17' 48.427" W
65	23° 7' 39.134" S	76° 17' 47.401" W
66	23° 7' 39.784" S	76° 17' 46.805" W
67	23° 7' 39.784" S	76° 17' 46.767" W
68	23° 7' 38.766" S	76° 17' 45.646" W
69	23° 7' 38.641" S	76° 17' 45.649" W
70	23° 7' 38.617" S	76° 17' 45.836" W
71	23° 7' 37.67" S	76° 17' 45.872" W
72	23° 7' 37.438" S	76° 17' 41.914" W
73	23° 7' 38.474" S	76° 17' 41.942" W
74	23° 7' 38.756" S	76° 17' 42.687" W
75	23° 7' 38.974" S	76° 17' 43.246" W
76	23° 7' 39.235" S	76° 17' 44.446" W
77	23° 7' 45.177" S	76° 17' 45.631" W
78	23° 7' 44.465" S	76° 17' 46.524" W
79	23° 7' 44.131" S	76° 17' 46.513" W
80	23° 7' 44.033" S	76° 17' 46.641" W

Point	Degrees, minutes and seconds	
	Latitude	Longitude
81	23° 7' 43.987" S	76° 17' 47.445" W
82	23° 7' 44.333" S	76° 17' 48.878" W
83	23° 7' 44.366" S	76° 17' 48.928" W
84	23° 7' 44.43" S	76° 17' 48.964" W
85	23° 7' 44.543" S	76° 17' 48.231" W
86	23° 7' 44.862" S	76° 17' 47.633" W
87	23° 7' 46.977" S	76° 17' 45.042" W
88	23° 7' 46.837" S	76° 17' 44.873" W
89	23° 7' 46.908" S	76° 17' 44.722" W
90	23° 7' 46.994" S	76° 17' 44.401" W
91	23° 7' 47.341" S	76° 17' 40.942" W
92	23° 7' 47.397" S	76° 17' 40.576" W
93	23° 7' 47.808" S	76° 17' 39.852" W
94	23° 7' 48.055" S	76° 17' 39.607" W
95	23° 7' 48.715" S	76° 17' 38.665" W
96	23° 7' 47.562" S	76° 17' 38.559" W
97	23° 7' 46.604" S	76° 17' 38.355" W
98	23° 7' 46.516" S	76° 17' 38.308" W
99	23° 7' 46.63" S	76° 17' 37.246" W
100	23° 7' 46.727" S	76° 17' 36.367" W
101	23° 7' 47.919" S	76° 17' 33.014" W
102	23° 7' 47.589" S	76° 17' 30.915" W
103	23° 7' 47.889" S	76° 17' 29.87" W
104	23° 7' 47.906" S	76° 17' 29.741" W
105	23° 7' 47.906" S	76° 17' 29.741" W
106	23° 7' 43.675" S	76° 17' 29.566" W
107	23° 7' 42.957" S	76° 17' 40.326" W
108	23° 7' 36.488" S	76° 17' 39.854" W
109	23° 7' 36.542" S	76° 17' 38.465" W
110	23° 7' 36.221" S	76° 17' 38.481" W
111	23° 7' 35.748" S	76° 17' 44.181" W
112	23° 7' 31.831" S	76° 17' 43.67" W
113	23° 7' 31.853" S	76° 17' 38.3" W
114	23° 7' 32.181" S	76° 17' 32.427" W
115	23° 7' 36.976" S	76° 17' 32.067" W
116	23° 7' 37.71" S	76° 17' 21.185" W
117	23° 7' 32.757" S	76° 17' 20.926" W
118	23° 7' 32.454" S	76° 17' 23.601" W

Khasra No- 224/1, Area- 36 Hectare in Village Mohammad Kheda Tahsil Tonk Khurd Dist. Dewas(M.P.)

आदेश द्वारा एम.आर. बघेल (भा.व.से.) वन संरक्षक
उज्जैन वृत्त उज्जैन

:: आदेश ::

आदेश क्रमांक/तकनीकी/2024/ 102 उज्जैन, दिनांक 18/12/2024

प्रकरण अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्रं./तकनीकी/2024/96 दिनांक 04–12–2024 से जारी तकनीकी स्वीकृति एतद् द्वारा निरस्त की जाकर, प्रकरण अन्तर्गत वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल देवास द्वारा उनके पत्र क्रं./कैम्पा/2024/2004 दिनांक 10–12–2024 से इन्दौर–हरदा एनएच–59 नया एनएच–47 परियोजना मे प्रभावित 40.053 हे. वनभूमि के व्यपवर्तन के प्रकरण मे कलेक्टर जिला देवास द्वारा उनके आदेश क्रं./0011/अ–20(3)/2024–25 दिनांक 21–08–2024 से भूमि सर्वे क्रं. 224/1 रकवा 36.00 हे. एवं 5/01 रकवा 4.053 हे गैर वनभूमि कुल 40.053 हे. क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु आरक्षित की हैं। उक्त के पालन मे वनमण्डलाधिकारी देवास द्वारा प्रकरण अन्तर्गत पर्यवेक्षण शुल्क की राशि मे संशोधन कर प्राप्त गैर वनभूमि पर 11 वर्षीय वैकल्पिक वृक्षारोपण तैयार कर निम्नानुसार तकनीकी अनुमोदन हेतु इस कार्यालय को प्रेषित की गई है।

क्रं.	योजना का नाम	परिक्षेत्र	स्थल/सर्वे क्रं.	रकबा (हे.में)	प्रथम वर्ष की राशि	योजना की कुल राशि
1	इन्दौर–हरदा NH-59 नया NH-47	देवास	ग्राम माहम्मद खड़ा तह टॉकखुर्द सर्वे न. 224/1	36.00	17884166	28227327
2		देवास	ग्राम माहम्मद खड़ा तह. टॉकखुर्द सर्वे न. 5/01	4.053	3128178	7062758

वनमण्डलाधिकारी. (सा.) वनमण्ड़ल देवास द्वारा उपरोक्त वैकल्पिक वृक्षारोपण योजनाऐं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबध) के पत्र क्रं. 4050 दिनांक 30–12–2019 से प्रेषित मॉडल प्रोजेक्ट रिपांट अनुसार निर्धारित प्रारुप पर तैयार कर प्रस्तुत की है। अतः म.प्र. बुक ऑफ फायनेंशनल पॉवर 2022 वॉल्यूम-2 में वन विभाग को प्रदत्त अधिकार के बिंदु क्रमांक 20 में निहित एवं प्रदत्त वित्तीय अधिकारों के तहत् वनमण्ड़लाधिकारी देवास द्वारा प्रेषित उपरोक्त वैकल्पिक वृक्षारोपण योजनाओं की Provisional तकनीकी स्वीकृती निम्न शर्तो के अध्यधीन प्रदान की जाती है :–

1) समस्त कार्य स्वीकृत जॉब दरो निर्धारित नार्म्स एवं बजट प्रावधानो के अन्तर्गत ही कराये जावे। यदि किसी कार्य की जॉब दर स्वीकृत न हो तो, स्वीकृती हेतु दर प्रस्तुत की जावे।
2) कार्य की गुणवत्ता उत्तम हों।
3) क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना हेतु म.प्र. शासन वन विभाग के ज्ञाप क्र./डी. /3202/3827/2001/10/3 दिनांक 7 दिसंबर 2001 एवं क्रमांक–एफ–03-11/2018 /10-2 दिनांक 14 मई 2019 से प्रसारित दिशा निर्देशों की कडाई से पालना सुनिश्चित करें।
4) क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना हेतु मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) म.प्र. भोपाल के पत्र क्र. /572 दिनांक 07-02-2002 एवं 79 दिनांक 08-01-2018 में निहित निर्देशों की कडाई से पालना की जावें।
5) सामग्री क्रय करते समय म.प्र. भण्डार क्रय एवं सेवा उपार्जन अधिनियम 2015 की धारा 7, 9, 10 एवं 11 के भण्ड़ार नियमो का पालन अनिवार्य रूप से किया जावे। भण्डार क्रय नियमो के अन्तर्गत अनुसूची 'अ' मे सम्मिलित सामग्री म.प्र. लघु उद्योग

निगम अथवा भारत सरकार के गर्वमेंट ई–मार्केट पोर्टल से ही क्रय की जावे। जो सामग्री राशि रू. 2.50 लाख के अन्दर तक की कोटेशन द्वारा प्राप्त की जानी है, उसे क्रय समिति से परीक्षण कराया जावे तथा अनुमोदन वनमण्ड़लाधिकारी द्वारा किया जावे।

6) फेंसिंग पोल/जाली/तार/लोहा/स्टील एवं अन्य सभी क्रय सामग्रियों का सत्यापन उपवनमण्डलाधिकारी द्वारा किया जावेगा। क्रय तथा उपयोग की सामग्री स्टोर पंजी में स्टोर प्रभारी द्वारा अनिवार्यतः इंद्राज की जावेगी, जिसकी पुष्टि वन परिक्षेत्राधिकारी द्वारा की जावेगी।

7) प्रस्तावित्त कार्य का वनमण्ड़लाधिकारी/उपवनमण्ड़लाधिकारी/वन परिक्षेत्राधिकारी द्वारा कार्य अवधि में न्यूनतम 25% वनमण्ड़लाधिकारी, 50% उपवनमण्ड़लाधिकारी एवं वन परिक्षेत्राधिकारी द्वारा 100% स्थल निरीक्षण अनिवार्य किया जावेगा।

8) वनमण्ड़लाधिकारी यह सुनिश्चित करे कि, कार्य आयोजना में निहित प्रावधानों के विपरीत कोई कार्य न हो। यदि विचलन की आवश्यकता हो तो तदनुसार प्रस्ताव तैयार कर इस कार्यालय को भेजे तथा स्वीकृती उपरांत ही कार्य करायें जावे।

9) शासन तथा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी प्रशासनिक, आर्थिक तथा तकनीकी निर्देशों के पालन की जवाबदारी वनमण्ड़लाधिकारी की रहेगी।

10) मौके पर कार्य करने वाले कर्मचारी के पास स्वीकृती की प्रति, माप पुस्तिका, प्रस्तावित माप डिजाईनिंग एवं मानचित्र उपलब्ध होना आवश्यक है।

11) वनमण्ड़लाधिकारी सुनिश्चित करे, कि पूर्व में प्रस्तावित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य तो नही कराया गया है। स्वीकृत क्षेत्र का स्थल परिवर्तन मान्य नही होगा। यदि कोई स्थल कार्य योग्य नही है तो उस स्थल पर कार्य नही कराया जाकर स्वीकृत राशि समर्पित कर अवगत कराया जावे।

12) स्वीकृत कार्य समाप्ति उपरांत, स्वीकृति अनुसार किये गये कार्यो का कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र मे इस कार्यालय को भेजा जावे।

13) मुख्यतः कार्य मजदूरो से कराया जावे, अत्यंत आवश्यक होने पर मजदूरो की उपलब्धता न होने पर ही यांत्रिकी साधन से कार्य कराया जावे।

14) स्थल पर रोपण होने पर मानक आकार के पौधे लगाये जावे।

15) रोपण मूल्यांकन हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक, म.प्र. भोपाल के पत्र क्रं. 3410 एवं दिनांक 13–11–2013 के आधार पर रिकॉर्ड रखा जावे एवं वृक्षारोपण पंजी मे चस्पा किया जावे।

16) माप पुस्तिका पर कराये गए कार्यो की प्रविष्टि उपरांत वन परिक्षेत्राधिकारी, उपवनमण्डलाधिकारी के हस्ताक्षर लिये जावे।

17) किये गये कार्यो की प्रविष्टि कक्ष इतिहास, ई–ग्रीन वॉच पोर्टल, Plantation Monitoring System एवं MIS Portal मे समय–समय पर की जावे।

18) वनमण्ड़लाधिकारी प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि नियम 2018 (CAF Rules 2018) के निर्देशो का पालन सुनिश्चित करेगें।

19) स्वीकृत राशि व्यय की अधिकतम सीमा है। परियोजना स्थल पर व्यय मितव्ययता रखते हुए कार्य किये जावे।

20) श्रमिकों को श्रमायुक्त द्वारा निर्धारित देय न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित किया जावे।

21) क्षेत्र घेराव हेतु फैंसिंग पर Green Hedge अनिवार्य रूप से तैयार किये जावे।

22) योजना मे रोपित किये जाने वाले पौधो का जीवितता प्रतिशत 75 प्रतिशत से अधिक होना अनिवार्य है।

23) प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक 558 दिनांक 10.06.2020 द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।

24) उपरोक्त प्राक्कलन Provisional तकनीकी स्वीकृती प्रदान की गई है। कार्य समाप्त होने के उपरांत मौके पर वास्तव में कराये गए कार्य अनुसार तकनीकी प्राक्कलन आपके द्वारा प्रस्तुत किये जानें पर अंतिम रुप से तकनीकी स्वीकृती दी जावेगी।

(एम.आर. बघेल)
भा.व.से.
वन संरक्षक
उज्जैन वृत्त उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 18/12/2024

पृष्ठांकन क्रमांक/तकनीकी/2024/ 6255

(1) महालेखाकार (ऑडिट) ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
(2) वनमण्डलाधिकारी (सा.) वनमण्डल देवास की ओर उनके पत्र क्रं. /2004 दिनांक 10-12-2024 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित।

वन संरक्षक
उज्जैन वृत्त उज्जैन

म.प्र. शासन - वन विभाग
कार्यालय वन मण्डल अधिकारी वन मण्डल (क्षेत्रीय) देवास
Office ☎ : (07272) 253020, Res. ☎ : (07272) 252449 ✉ - dfotdwas@mp.gov.in, dfodewas@mpforest.org

क्रमांक/केम्पा/2024/2004 देवास, दिनांक 10.12.2024

प्रति,

वन संरक्षक,
उज्जैन वृत्त, उज्जैन

विषय :- वन संरक्षण अधिनियम अंतर्गत प्रभावित वन भूमि के एवज में प्राप्त गैर वन भूमि में 11 वर्षीय क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना स्वीकृति बाबत्।

संदर्भ :- 1-वन परिक्षेत्र अधिकारी देवास का पत्र क्रमांक 3927 दिनांक 10.12.2024
2-कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1910 दिनांक 25.11.2024

---000---

निवेदन है कि वन संरक्षण अधिनियम अंतर्गत प्रभावित वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि में 11 वर्षीय क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना हेतु निम्न प्रकरण संदर्भित पत्र क्रमांक 2 से प्रेषित किए गये थें। उक्त परियोजनाओं का पर्यवेक्षण शुल्क के साथ संशोधित गोषवारा संलग्न प्रेषित है :-

क्र	योजना	प्रभावित वनक्षेत्र हेक्टयर	परिक्षेत्र	वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्राप्त गैर वन भूमि	रकबा	प्रोजेक्ट अवधि	प्रथम वर्ष की राशि	कुल प्रोजेक्ट की राशि
1	2	3	3	4	5	6	7	8
1	इन्दौर-बूदनी रेलवे लाईन	44.577	देवास	ग्राम मोहम्मदखेड़ा तह. टोंकखुर्द सर्वे न. 10	23.650	2024-25 से 2034-35	10454817	7062758
				ग्राम मोहम्मदखेड़ा तह. टोंकखुर्द सर्वे न. 5/01	8.642	2024-25 से 2034-35	6431883	11970980
				ग्राम मिर्जापुर, तह. देवास सर्वे नं 340/1	13.000	2024-25 से 2034-35	4365293	7848871
				योग :-	45.292			
2	इन्दौर-हरदा एनएच-59 नया एनएच 47	39.367	देवास	ग्राम मोहम्मदखेड़ा तह. टोंकखुर्द सर्वे न. 224/01	36.000	2024-25 से 2034-35	17884166	28227327
				ग्राम मोहम्मदखेड़ा तह. टोंकखुर्द सर्वे न. 5/01	04.053	2024-25 से 2034-35	3128178	7062758
				योग :-	40.053			
3	खातेगांव-कन्नौद मल्टीविलेज वाटर सप्लाई स्कीम	-	देवास	ग्राम मोहम्मदखेड़ा तह. टोंकखुर्द सर्वे न. 5/01	12.000	2024-25 से 2034-35	5492930	10897071

कृपया तकनिकी स्वीकृति जारी करने का कष्ट करें।

संलग्न :-उपरोक्तानुसार।

वन मण्डल अधिकारी
(क्षेत्रीय) वन मण्डल देवास

पृ.क्रमांक/केम्पा/2024/2005 देवास, दिनांक 10.12.2024

प्रतिलिपिः- 1-प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) वन भवन, तुलसीनगर, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2-प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू प्रबंध) वन भवन, तुलसीनगर, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3-उप वनमण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय) देवास।
4-वन परिक्षेत्राधिकारी (क्षेत्रीय) देवास।
5-शाखा प्रभारी, मानचित्रकार, वन मण्डल (क्षे.) देवास की ओर प्राक्कलन की प्रति सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

वन मण्डल अधिकारी
(क्षेत्रीय) वन मण्डल देवास

E:\All work\CAMPA\2024-25\Letter.doc

कार्यालय वनपरिक्षेत्र अधिकारी, वनपरिक्षेत्र, देवास

Email ID : rodewas@gmail.com, Ph: 07272-224077

क्रमांक/डीएम/2024/ 3927 देवास, दिनांक/ 10/12/24

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी महोदय
वन मण्डल (क्षे) देवास (म.प्र.)

संशोधित

द्वारा :– उप वनमण्डलाधिकारी महोदय उप वनमण्डल क्षेत्रीय देवास।

विषय :– क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना अंतर्गत वर्ष 2024–25 की प्रोजेक्ट स्वीकृत करने बाबद्।

संदर्भ :– श्रीमान कलेक्टर महोदय जिला देवास का राजस्व आदेश पत्र अनुज्ञप्ति पत्र मामला कमांक 0011/अ–20(6)/2024–25

–***–

उपरोक्त विषय एवं संदर्भित पत्र के पालन में निवेदन है, कि वन परिक्षेत्र देवास अंतर्गत दिनांक 06.06.2024 अनुसार खातेगावं कन्नौद समूह जल प्रदाय योजना हेतु 12.00 हेक्टर भूमि आवंटन एवं मुख्य परियोजना प्रबंधक रेल विकास निगम लिमिटेड भोपाल के पत्र कमांक 12 5A RVNL BPL/Forest दिनांक 17.08.2024 अनुसार इंदौर बुदनी न्यु बीजे रेल्वे लाईन के निर्माण हेतु जिले के अंतर्गत व्यवपर्तन हेतु 32.922 हेक्टर राजस्व भूमि क्षतिपूति वनीकरण अंतर्गत प्राक्कलन के गोश्वारा में त्रुटि होने पर पुनः संशोधित किया गया है, जो निम्नानुसार है

क.	वृक्षारोपण का प्रकार	वर्ष	खसरा कमांक	रकबा	प्रथम वर्ष राशि	कुल राशि
1	मिश्रित वृक्षारोपण मोहम्मदखेडा क्षतिपूर्ति वनीकरण	2024-25 से 2034-35	10	23.650हे.	10454817	7062758
2	मिश्रित वृक्षारोपण मोहम्मदखेडा क्षतिपूर्ति वनीकरण	2024-25 से 2034-35	224/01	36.000हे.	17884166	28227327
3	मिश्रित वृक्षारोपण मोहम्मदखेडा क्षतिपूर्ति वनीकरण	2024-25 से 2034-35	5/1	4.053हे.	3128178	7062758
4	मिश्रित वृक्षारोपण मोहम्मदखेडा क्षतिपूर्ति वनीकरण	2024-25 से 2034-35	5/1	8.642हे.	6431883	11970980
5	मिश्रित वृक्षारोपण मोहम्मदखेडा क्षतिपूर्ति वनीकरण	2024-25 से 2034-35	5/1	12.00हे.	5492930	10897071
6	मिश्रित वृक्षारोपण मिर्जापुर क्षतिपूर्ति वनीकरण	2024-25 से 2034-35	340/1	13.000हे.	4365293	7848871
				97.345 हे.	47757267	73069765

अतः श्रीमानजी की सेवा में उक्त प्रोजेक्ट स्वीकृति हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्न :– 06 प्रोजेक्ट तीन तीन प्रतियों में

वनपरिक्षेत्र अधिकारी
वनपरिक्षेत्र, देवास (सा0)

कार्यालय वन मण्डल (क्षे) देवास (म.प्र.) 3848 10/12/24

कार्यालय उप वन मण्डलाधिकारी (क्षे.) देवास (म.प्र.)

शाखा–

क्रमांक / Dm / 2916 देवास / दि. / 11/12/24

प्रति: वनमंडल अधिकारी (क्षे.) वनमंडल देवास की ओर आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर संप्रेषित।

11 DEC 2024

आमद क्र.– 14884

Amit :- E:\All Latter\2024\Vriksharopan\Latter.docx

व.म.अ. (क्षे) देवास

मुख्य लिपिक

उ. व. म.अ. देवास

मिश्रित वृक्षारोपण मोहम्मदखेडा क्षतिपूर्ति वनीकरण सर्वे नंबर 224/01

वन परिक्षेत्र (क्षे.), देवास

वन मण्डल (क्षे.), देवास

M.P. FOREST DEPARTMENT
150 years

वन वृत्त उज्जैन

वर्ष 2024–25 से

2034–35

ग्राम मोहम्मदखेडा स्थित सर्वे नंबर 224/01 रकबा 36.00 हेक्टर

आरडीएफ मिश्रित वृक्षारोपण

प्रथम भाग

- योजना का नाम :— मिश्रित वृक्षारोपण मोहम्मदखेडा क्षतिपूर्ति वनीकरण
- योजना का उद्देश्य :— उक्त सर्वे नंबर 224/01 रकबा 36.00 हे. राष्ट्रीय राजमार्ग 47 पुराना एनएच 59 ए इंदौर हरदा मार्ग को फोरलाईन किये जाने हेतु क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कर वनीकरण करना, क्षेत्र में भूमि संरक्षण एवं कटाव को रोकना, जनभागीदारी से पर्यावरण एवं जनभागीदारी से ग्रामीणों में पर्यावरण एवं वनसुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना समिति सदस्यों को नियमानुसार बॉस एवं जलाऊ लकड़ी आदि उपलब्ध कराना एवं ग्राम में ही रोजगार के अवसर पैदा करना।
- प्रबंधन वृत्त का नाम :— मिश्रित वृक्षारोपण मोहम्मदखेडा
- परिक्षेत्र का नाम :— वन परिक्षेत्र देवास
- बीट का नाम :— पीएफ वृक्षारोपण
- सर्वे नंबर (राजस्व) :— 224/01
- रकबा :— 36.00 हेक्टर
- योजना का लक्ष्य :— वन घनत्व में वृद्धि करना, ग्राम वन समिति के सदस्यों को रोजगार एवं , वनोपज की उपलब्धता बढ़ाना।
- लक्ष्य प्राप्ति हेतु किये जाने वाले उपचार :—

13. वनक्षेत्र में विगत वर्षो में उक्त कक्ष में सफल मिश्रित वृक्षारोपण है। साथ ही उक्त स्थल की मृदा उपजाउ व गुणवत्ता अच्छी है।

14. खाली क्षेत्रों को स्थानीय रूप से उपयुक्त एव उपयोगी मिश्रित प्रजातियों के रोपण से भरा जा सकता है।

15. जिन क्षेत्रों में मृदा अपरदन की संभावना है वहां मिश्रित वृक्षारोपण कर मृदा अपरदन रोका जा सकता है।

16. भू–क्षरण रोकने एवं मृदा तथा जल स्तर के बहाली के लिये उपयुक्त भू–जल संरक्षण उपायों का अपनाया जाना आवश्यक है।

17. क्षेत्र में पुराने वृक्षारोपणों में उचित उपचार द्वारा बेहतर परिणाम प्राप्त किये जा सकते है।

18. इन वनों के पुनः स्थापना के उपाय तक सफल नहीं हो सकते, जब तक चराई, अवैध कटाई, वन अग्नि आदि जैविक दबावों से इन क्षेत्रों को पूर्ण संरक्षण प्रदान न किया जाए।

अतः उपरोक्त सभी उपचारों के साथ–साथ

वनक्षेत्रपालअधिकारी

		इन क्षेत्रों का प्रभावी संरक्षण आवश्यक है।
• क्षेत्र का घनत्व एवं वन का प्रकार	:–	क्षेत्र का घनत्व 0.2 से 0.3 तक एवं वन का प्रकार Vb
• क्षेत्र का वर्तमान भौतिक स्वरूप एवं मानचित्र में उसकी स्थिति	:–	मानचित्र पर उक्त स्थल समतल है। उत्तर – राजस्व ग्राम मोहम्मदखेडा की सीमा रेखा पूर्व – ग्राम मोहम्मदखेडा की सीमा रेखा दक्षिण – ग्राम मोहम्मदखेडा की सीमा रेखा पश्चिम – ग्राम मोहम्मदखेडा की सीमा रेखा
• जी.पी.एस. रीडिंग	:–	I. N-23°07'17.74"E-76°17'17.38" J. N-23°07'25.05"E-76°17'83.00" K. N-23°07'36.93"E-76°17'55.68" L. N-23°07'47.33" E-76°17'40.79"
• लक्ष्य प्राप्ति की समय–सीमा	:–	पौधों की बढ़त धीरे–धीरे होती है, तीन वर्ष बाद पौधें में बढ़त आती है। योजना 11 वर्ष आवश्यक है।
• अनुश्रवण की व्यवस्था	:–	प्रथम वर्ष में कार्यो का अनुश्रवण परिक्षेत्र सहायक एवं द्वितीय वर्ष में वन परिक्षेत्राधिकारी एवं इसके पश्चात हर वर्ष उप वनमंडलाधिकारी एवं परिक्षेत्र अधिकारी के द्वारा निरीक्षण कर पुस्तिका में लेख किया जाएगा।
• सुरक्षा हेतु किये जाने वाले उपाय	:–	विभागीय स्वीकृति से चेनलिंक फेसिंग की जाकर, बागड़ लगाकर तथा विभाग के माध्यम से सुरक्षा श्रमिक द्वारा सुरक्षा कार्य कराया जाएगा। बीटगार्ड व परिक्षेत्र सहायक द्वारा घूमफिर कर क्षेत्र की सुरक्षा कार्य किया जाएगा।
• क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले वन्यप्राणी एवं जल स्त्रोत	:–	राजस्व क्षेत्र में जरक, लंगूर, खरहा, भेड़की, जंगली सुअर मोर, सियार, नीलगाय, तेन्दूआं आदि वन्यप्राणी पाए जाते है।
• कार्य समाप्ति पश्चात उपयोगिता प्रमाण–पत्र	:–	वित्तीय वर्ष के पश्चात वित्तीय वर्ष में किए गए कार्य की प्रगति दर्शाते हुए प्रमाण–पत्र परिक्षेत्र सहायक, परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा वन मंडल में दिया जाएगा।
• प्रत्येक कार्यो हेतु संधारित किये जाने अभिलेख	:–	निरीक्षण पुस्तिका, एमबी बुक आदि।
• क्षेत्र की जलाऊ एवं चारागाह की वर्तमान मांग एवं उपलब्धि	:–	चारागाह गॉव के मवेशियों के आधार एवं उपलब्धता के आधार पर घांस 10 प्रतिशत दिया जावेगा। लगभग शेष पूर्ति स्वयं करेंगें। ताकि वन घनत्व कम न होवें।
• विगत वर्षो में किये गये वानिकी कार्य के परिणाम यदि विगत 10 वर्षो में कोई कार्य किया हो तो।	:–	विगत वर्षो में वानिकी कार्य नहीं कराए गए, किन्तु प्राकृतिक पुनरूत्पादन हुआ है। जड़ भण्डारन, पुनरूत्पादन पर्याप्त है। घांस की उपलब्धता सुकली एवं गुंदराड़ी है।

वन परिक्षेत्र अधिकारी वन परिक्षेत्र क्षै. देवास	उप वनमण्डलाधिकारी उप वनमण्डल क्षैत्र देवास	वन मण्डलाधिकारी वन मण्डल क्षैत्र देवास

क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण – पत्र

बिगड़ें वनों के सुधार योजना अंतर्गत मिश्रित वृक्षारोपण मोहम्मदखेडा पीएफ क्षेत्र समिति जमोनिया संलग्न प्रोजेक्ट अनुसार देवास वनपरिक्षेत्र के राजस्व सर्वे नंबर 224/01 जिसका कुल रकबा 36.00 हे. रोपण हेतु उपयुक्त है। क्षेत्र का वन घनत्व 0.2से 0.3 है,

वनपरिक्षेत्र अधिकारी
वनपरिक्षेत्र क्षै. देवास

उपवनमण्डल अधिकारी
उपवनमण्डल देवास (सा.)

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल देवास (सा)

रोपण स्थल प्रमाण – पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मोहम्मदखेडा पीएफ क्षेत्र समिति रायपुर संलग्न प्रोजेक्ट अनुसार देवास वनपरिक्षेत्र के राजस्व सर्वे नंबर 224/01 जिसका कुल रकबा 36.00 हे. रोपण हेतु उपयुक्त है। रोपण वर्ष 2024–25 का निरीक्षण किया गया। मृदा की गहराई औसत 03 फीट है। जो कि रोपण के लिए उपयुक्त होकर बीएल–2, यूएस–2 के समतुल्य है। मृदा का परिक्षण कराया गया। क्षेत्र का वन घनत्व 0.2 से 0.3 है। जो कि रोपण हेतु उपयुक्त है।

वनपरिक्षेत्र अधिकारी **वनपरिक्षेत्र क्षै. देवास**	उपवनमण्डल अधिकारी उपवनमण्डल देवास (सा.)	वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल देवास (सा)

राष्ट्रीय राजमार्ग कमांक 47 पुराना एनएच 59 ए इंदौर हरदा मार्ग को फोरलेन किये जाने हेतु वन भूमि क्षतिपूर्ति (प्रस्तावित) हेतु वृक्षारोपण (खसरा कमांक 224/1) भाग –2

मिश्रित वृक्षारोपण **मोहम्मदखेड़ा** क्षेत्र का विवरण — समिति जमोनिया — रकबा 36 हेक्टेयर

N-23°07'23.74"
E-76°17'22.37"

क्षेत्र तैयारी वर्ष–योजना का प्रथम वर्ष 2024–25 — 393.27 मा.दि

संख्या 1000 पौधे प्रति हेक्टेयर

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	कुल राशि	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	सर्वे एवं सीमांकन हे0	36	ha	0.45	प्रति हे0	16	6371	जॉबदर
2	पक्के मुनारों का निर्माण	90	मुनारा	16	प्रति मुनारा	1440	566309	गणना के आधार पर
3	ट्रीटमेंट टाइप का क्षेत्र में सीमांकन (सामग्री सहित) हैक्ट.	36	ha	1.00	-	36	14158	अनुमानित
4	क्षेत्र सफाई (हे0)	36	ha	4.00	प्रति हे0	144	56631	जॉबदर
5	लेण्टाना उन्मूलन कार्य क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार (मध्यम)	20	ha	12.50	प्रति हेक्ट	250	98318	जॉबदर
6	वृक्षारोपण क्षेत्र का घेराव 1.8 मी. ऊंची, 75 mm X 75 mm की मेस साइज, 12 गेज चेनलिंक फेंसिंग से करने पर, साथ ही सीमेंट के पोल 2.50 मी. के अंतराल पर लेने पर। इसके अतिरिक्त 6 मी/प्रति किलो की नुकीली तार की 03 लाईनों में भी लगाई जायेगी। सीमेंट पोल को 75 30 cm X 30 cm X 45 cm के गडढों में 1:2:4 के सीमेंट कांक्रीट से भरा जायेगा।	6500		2.4	Rmt	15600	6135012	गणना के आधार पर
8	गड्ढ़ा खुदाई हेतु स्टेकिंग एवं एलाइनमेंट	36000	गड्डे	2.5	प्रति हजार	12.5	4916	जॉबदर
7	रोपण हेतु गडढ़ा खुदाई कार्य जेसीबी मशीन से 45x45x45 cm.	36000	गड्डे	5	प्रति सैकड़ा	1800	707886	जॉबदर
8	गड्ढ़ों में मिट्टी बदलने हेतु कय आयतन का 30 प्रतिशत	984	घ0मी0	1.5	प्रति घ0मी0	204	80227	बाजार दर
9	गोबर खाद डालने हेतु कय आयतन का 15 प्रतिशत	492.1	घ0मी0	3	प्रति घ0मी0	204	80227	बाजार दर
10	उपजाऊ मिट्टी, स्थानीय मिट्टी एवं आर्गेनिक खाद का मिश्रण तैयार कर गडढ़ों में डालना	36000	गड्डे	1.5	100	540	212366	जॉबदर
11	01 हट निर्माण		L.S.			120	47192	अनुमानित
12	सुरक्षा एवं रखरखाव कार्य 01 श्रमिक द्वारा	4	माह	393.27	10225	104	40900	अनुमानित
12	अन्य व्यय (निरीक्षण पथ, सूचना बोर्ड, पैंट, चूना आदि)					200	78654	अनुमानित
	योग					20671	8129166	
13	भू–जल संरक्षण कार्य 25 प्रतिशत	4	हे0	24.5	24.5 प्रति हे0	4134	1625833	अनुमानित
	कुल योग					24805	17884166	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
वन परिक्षेत्र क्षै. देवास

उप वनमण्डलाधिकारी
उप वनमण्डल क्षैत्र देवास

वन मण्डलाधिकारी
वन मण्डल क्षैत्र देवास

मिश्रित वृक्षारोपण **मोहम्मदखेड़ा** क्षेत्र का विवरण रकबा 36 हेक्टेयर

योजना का द्वितीय वर्ष 2025–26 **393.27** (असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	कुल राशि	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	रोपणी कार्य							
	प्रथम रोपण हेतु पौधा क्रय संख्या	36000	पौधे	20	20 / प्रति पौधा	1831	720000	बाजार दर
	मृत पौधों को बदलने हेतु पौधा संख्या 20 प्रति.	7200	पौधे	20	20 / प्रति पौधा	366	144000	बाजार दर
2	पौधों का परिवहन (संख्या)							
	ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा	43200	पौधे	1.5	100	648	254839	जॉबदर
	सिर बोझ द्वारा 1 कि0मी0	36000	पौधे	0.4	प्रति सैकड़ा	144	56631	जॉबदर
3	लेंटाना मापिंग अप आपरेशन	30	हेक्टेयर	8	प्रति हेक्ट	240	94385	जॉबदर
4	रोपण							
	45x45x45 cm.	36000	गड्डे	1.8	प्रति सैकड़ा	648	254839	जॉबदर
5	प्रथम निंदाई							
	पौधों में	36000		1.25	100	450	176972	जॉबदर
6	द्वितीय निंदाई							
	पौधों में	36000		1	100	360	141577	जॉबदर
7	तृतीय निंदाई							
	पौधों में	36000		1	100	360	141577	जॉबदर
8	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	36000		0.6	प्रति सैकडा	216	84946	जॉबदर
9	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
	6 मीटर चौड़ी	3000	mtr	3.35	किमी	10	3952	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	6000	mtr	2.25	किमी	14	5309	जॉबदर
10	सुरक्षा 1 श्रमिक 12 माह		1x12			312	122700	अनुमानित
11	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)					200	78654	अनुमानित
					योगः–	5799	2280382	

योजना का तृतीय वर्ष 2026–27 **393.27** (असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	कुल राशि	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	रोपणी व्यय (10 प्रतिशत पौधों के पुर्नरोपण हेतु)	3600	पौधे	20	20 / प्रति पौधा	183	72000	बाजार दर
2	पौधों का परिवहन (संख्या)							बाजार दर
	ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा	3600	पौधे	1.5	100	54	21237	जॉबदर
	सिर बोझ द्वारा 1 कि0मी0	3600	पौधे	0.4	सैकडा	14	5663	जॉबदर
3	चेनलिंक फेंसिंग मरम्मत कार्य (मीटर)					100	39327	[illegible]
4	प्रथम निंदाई							
	पौधों में	36000	पौधे	1.25	100	450	176972	जॉबदर
5	द्वितीय निंदाई							
	पौधों में	36000	पौधे	1	100	360	141577	जॉबदर
6	तृतीय निंदाई							
	पौधों में	36000	पौधे	1	100	360	141577	जॉबदर
7	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	36000	पौधे	0.6	सैकड़ा	216	84946	जॉबदर
8	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
	6 मीटर चौड़ी	3000	mtr	3.35	किमी	10	3952	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	6000	mtr	2.25	किमी	14	5309	जॉबदर
9	सुरक्षा समिति द्वारा/ 1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			312	122700	अनुमानित
10	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)					200	78654	अनुमानित
	योगः–					2273	893915	

वनपरिक्षेत्राधिकारी
देवास (म. प्र.)

मिश्रित वृक्षारोपण **मोहम्मदखेड़ा** क्षेत्र का विवरण — रकबा 36 हेक्टेयर

योजना का चतुर्थ वर्ष 2027–28 — 393.27 (असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	कुल राशि	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	रोपणी व्यय (10 प्रतिशत पौधों के पुर्नरोपण हेतु)	3600	पौधे	20	20 / प्रति पौधा	183	72000	बाजार दर
2	पौधों का परिवहन (संख्या)							बाजार दर
	ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा	3600	पौधे	1.5	100	54	21237	जॉबदर
	सिर बोझ द्वारा 1 कि0मी0	3600	पौधे	0.4	सैकड़ा	14	5663	जॉबदर
3	प्रथम निंदाई							
	पौधों में	36000	पौधे	1.25	100	450	176972	जॉबदर
4	द्वितीय निंदाई							
	पौधों में	36000	पौधे	1	100	360	141577	जॉबदर
5	तृतीय निंदाइ							
	पौधों में	36000	पौधे	1	100	360	141577	जॉबदर
6	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	36000	पौधे	0.6	सैकड़ा	216	84946	जॉबदर
7	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
	6 मीटर चौड़ी	3000	mtr	3.35	किमी	10	3952	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	6000	mtr	2.25	किमी	14	5309	जॉबदर
8	सुरक्षा समिति द्वारा/ 1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			312	122700	अनुमानित
9	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)					200	78654	अनुमानित
	योगः–					2173	854588	

योजना का पंचम वर्ष 2028–29 — 393.27

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	कुल राशि	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	चेनलिंक फेंसिंग मरम्मत कार्य (मीटर)					150	58991	अनुमानित
2	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
	6 मीटर चौड़ी	3000	mtr	3.35	किमी	10	3952	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	6000	mtr	2.25	किमी	14	5309	जॉबदर
3	सुरक्षा समिति द्वारा/ 1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			312	122700	अनुमानित
4	अन्य व्यय					200	78654	अनुमानित
	योगः–					686	269606	

योजना का षष्ठम वर्ष 2029–30 — 393.27 (असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	कुल राशि	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
	6 मीटर चौड़ी	3000	mtr	3.35	किमी	10	3952	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	6000	mtr	2.25	किमी	14	5309	जॉबदर
6	सुरक्षा समिति द्वारा/ 1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			312	122700	अनुमानित
7	अन्य व्यय					200	78654	अनुमानित
	योगः–					536	210616	

वनपरिक्षेत्राधिकारी
देवास (म. प्र.)

मिश्रित वृक्षारोपण **<u>मोहम्मदखेड़ा</u>** क्षेत्र का विवरण

रकबा 36 हेक्टेयर

योजना का सप्तम वर्ष 2030–31 (असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	कुल राशि	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
	6 मीटर चौड़ी	3000	2000 mtr	3.35	किमी	10	3952	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	6000	6000 mtr	2.25	किमी	14	5309	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा/ 1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			312	122700	अनुमानित
3	अन्य व्यय					100	39327	अनुमानित
					योग:–	436	171289	

क्षेत्र तैयारी वर्ष–योजना का अष्टम वर्ष 2031–32 **393.27** (असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	कुल राशि	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	चेनलिंक फेंसिंग मरम्मत कार्य (मीटर)					200	78654	अनुमानित
2	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
	6 मीटर चौड़ी	3000	mtr	3.35	किमी	10	3952	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	6000	mtr	2.25	किमी	14	5309	जॉबदर
3	सुरक्षा समिति द्वारा/ 1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			312	122700	अनुमानित
4	अन्य व्यय					100	39327	अनुमानित
	योग:–					636	249943	

योजना का नवम वर्ष 2032–33 **393.27** (असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	कुल राशि	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
	6 मीटर चौड़ी	3000	mtr	3.35	किमी	10	3952	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	6000	mtr	2.25	किमी	14	5309	जॉबदर
6	सुरक्षा समिति द्वारा/ 1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			312	122700	अनुमानित
7	अन्य व्यय					100	39327	अनुमानित
	योग:–					436	171289	

योजना का दशम वर्ष 2033–34 (असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	कुल राशि	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
	6 मीटर चौड़ी	3000	2000 mtr	3.35	किमी	10	3952	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	6000	6000 mtr	2.25	किमी	14	5309	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा/ 1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			312	122700	अनुमानित
3	अन्य व्यय					100	39327	अनुमानित
					योग:–	436	171289	

वनमण्डलाधिकारी
देवास (म. प्र.)

मिश्रित वृक्षारोपण <u>मोहम्मदखेड़ा</u> क्षेत्र का विवरण	रकबा	36	हेक्टेयर
		393.27	(असिंचित)

योजना का एकादश वर्ष 2034–35

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	कुल राशि	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
	6 मीटर चौड़ी	3000	mtr	3.35	किमी	10	3952	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	6000	mtr	2.25	किमी	14	5309	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा/ 1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			312	122700	अनुमानित
3	अन्य व्यय					100	39327	अनुमानित
	योग:-					436	171289	

गोश्वारा

वर्ष	प्रस्तावित (मानव दिवस)	6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि लेने पर गुणांक	प्रस्तावित मानव दिवस	कुल राशि
प्रथम वर्ष (क्षेत्र तैयारी) वर्ष 2024–25	24805	1	24805	17884166
द्वितीय वर्ष (रोपण रखरखाव) वर्ष 2025–26	5799	1.06	6146	2280382
तृतीय वर्ष (मृत्यारोपण रखरखाव) वर्ष 2026–27	2273	1.124	2554	893915
चतुर्थ वर्ष (मृत्यारोपण रखरखाव) वर्ष 2027–28	2173	1.191	2588	854588
पंचम वर्ष (सुरक्षा एवं रखरखाव) वर्ष 2028–29	686	1.263	866	269606
षष्टम वर्ष (सुरक्षा एवं रखरखाव) वर्ष 2029–30	536	1.338	717	210616
सप्तम वर्ष (सुरक्षा एवं रखरखाव) वर्ष 2030–31	436	1.419	618	171289
अष्टम वर्ष (सुरक्षा एवं रखरखाव) वर्ष 2031–32	636	1.504	956	249943
नवम वर्ष (सुरक्षा एवं रखरखाव) वर्ष 2032–33	436	1.594	694	171289
दशम वर्ष (सुरक्षा एवं रखरखाव) वर्ष 2033–34	436	1.69	736	171289
एकदश वर्ष (सुरक्षा एवं रखरखाव) वर्ष 2034–35	436	1.79	780	171289
कुल योग (अ)			41459	23328369
आस्था मूलक कार्य राशि का 05 प्रतिशत	5%			1166418
मानव संसाधन कार्य राशि का 01 प्रतिशत	1%			233284
मूल्यांकन/अनुश्रवण राशि का 04 प्रतिशत	4%			933135
कुल योग (ब)	Total :-			2332837
योग (अ+ब)				25661206
पर्यवेक्षक शुल्क कुल राशि रू. का 10 प्रतिशत (स)	10%			2566121
महायोग (अ+ब+स)	Grand Total :-			28227327

वन परिक्षेत्र अधिकारी वन परिक्षेत्र क्षै. देवास	उप वनमण्डलाधिकारी उप वनमण्डल क्षैत्र देवास	वन मण्डलाधिकारी वन मण्डल क्षैत्र देवास

उपचार मानचित्र

क्षतिपूर्ति वनीकरण / मिश्रित वृक्षारोपण वर्ष 2024-25 वन परिक्षेत्र देवास परिक्षेत्र सर्कल टोंकखुर्द उत्तर

बीट भुराडिया / सुरला कक्ष क्रमांक सर्वे नं. 224/1 रकबा 36 हेक्टर ग्राम वन समिति का नाम जमोनिया

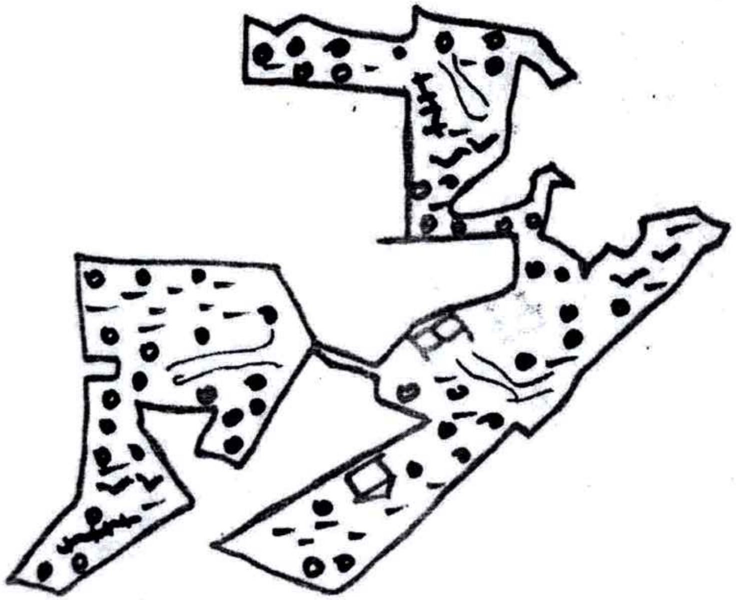

संकेत :–

वृक्षारोपण सीमा	———
क्षेत्र सफाई	- - - -
गड्ढा खुदाई	0000
परक्यूलेशन टैंक	∪ ∪
चैकडेम	⧺ ⧺
कन्टूर ट्रेंच	- - - - - -
निरीक्षण पथ	═══
झोपड़ी	⌂
साइनबोर्ड	
गेट	⊞

मनोज गर्ग (हस्ताक्षर)
बीट गार्ड

परिक्षेत्र सहायक
टोंकखुर्द उत्तर

वन परिक्षेत्र अधिकारी
वन परिक्षेत्र क्षै. देवास

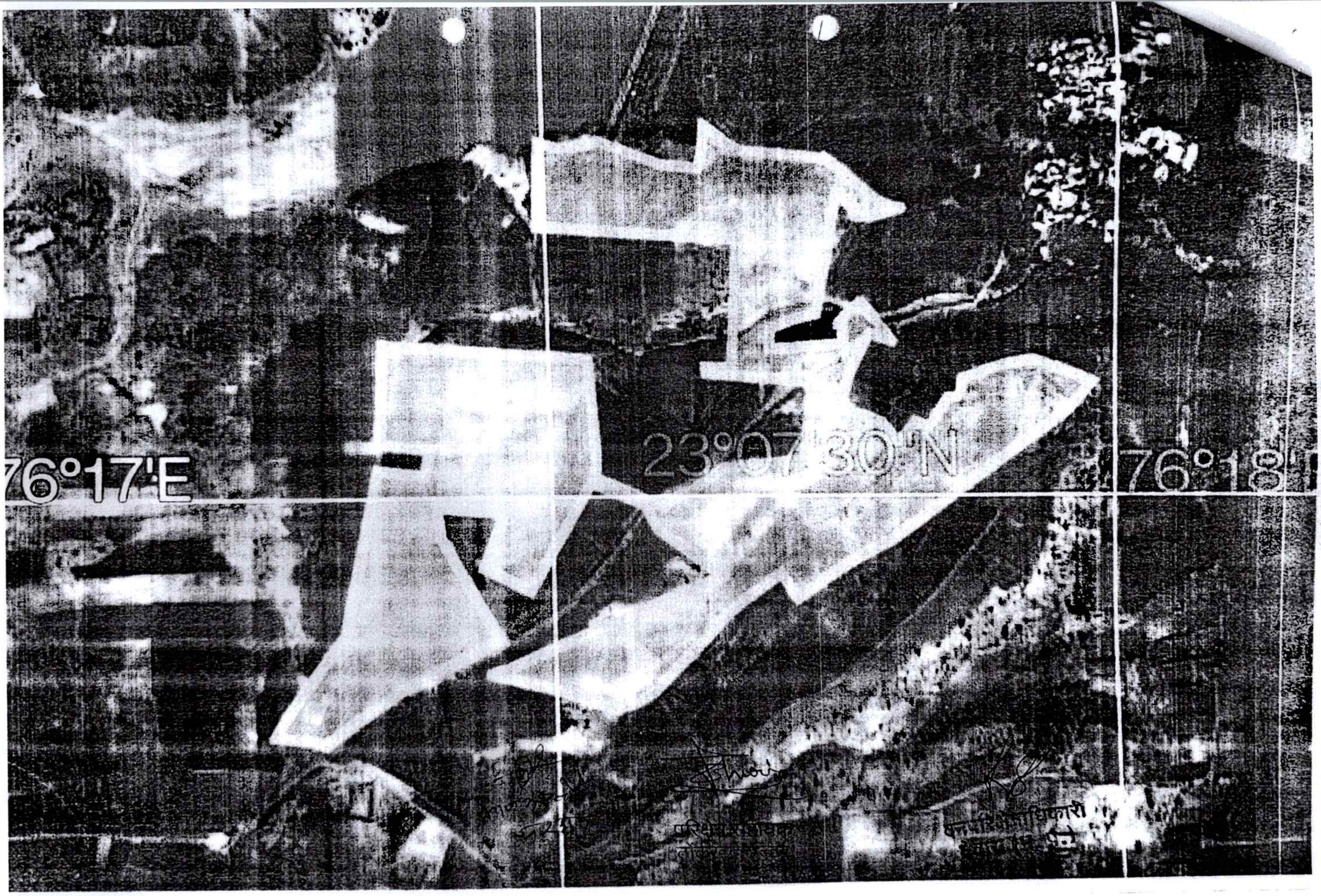
76°17'E
23°07'30"N
76°18'

बैठक

समिति का नाम - जमोनिया

वनपरिक्षेत्र - देवास

उपवनमण्डल - देवास

वनमण्डल - देवास

दि.	कार्यवाही का विवरण।

आज दिनांक को सा. व.प्र.स. जमोनिया की बैठक ग्राम के भैरवबाबा मंदिर पर आयोजित की गई। जिसमें समिति अध्यक्ष, समिति सचिव एवं समिति सदस्य उपस्थित हुए। बैठक में आपसी विचार विमर्श कर निम्न ठहराव प्रस्ताव किये गए।

प्रस्ताव	ठहराव
1. समिति सचिव द्वारा प्रस्ताव रखा गया कि क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु राजस्व विभाग में प्राप्त भूमि सर्वे नं. 2741 कुल रकबा 36 हेक्टेअर में पौधारोपण हेतु सर्वे सीमांकन, क्षेत्र सफाई चेनलिंक फेंसिंग, गड्ढा खुदाई, परक्युलेशन टैंक खुदाई कार्य कंटूर ट्रेंच, चैकडेम निर्माण, निरीक्षण पथ निर्माण, झोपडी निर्माण एवं बोर निर्माण साइनबोर्ड आदि कार्य किये जाए।	1. बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा प्रस्ताव सर्व सहमति से पारित किया गया।

समिति अध्यक्ष द्वारा सभी सदस्यों का आभार प्रदर्शित कर बैठक समाप्ती की घोषणा की गई।

अध्यक्ष   सचिव
सामुदायिक वन प्रबन्ध समिति
जमोनिया

[हस्ताक्षर]

NH — 4.053 ②

मिश्रित वृक्षारोपण मोहम्मदखेडा क्षतिपूर्ति वनीकरण सर्वे नंबर 05/01

वन परिक्षेत्र (क्षे.), देवास

वन मण्डल (क्षे.), देवास

M.P. FOREST DEPARTMENT
150 years

वन वृत्त उज्जैन

वर्ष 2024—25 से

2034—35

ग्राम मोहम्मदखेडा स्थित सर्वे नंबर 05/01 रकबा 04.053 हे.

आरडीएफ मिश्रित वृक्षारोपण

प्रथम भाग

- **योजना का नाम** :– मिश्रित वृक्षारोपण मोहम्मदखेडा क्षतिपूर्ति वनीकरण
- **योजना का उद्देश्य** :– उक्त सर्वे नंबर 05/01 रकबा 04.053 हे. भूमि में से रकबा 04.053 हे. राष्ट्रीय राजमार्ग कमांक 47 पुराना एनएच 59 ए है। इंदौर हरदा मार्ग को फोरलाईन किये जाने हेतु वन भूमि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कर वनीकरण करना, क्षेत्र में भूमि संरक्षण एवं कटाव को रोकना, जनभागीदारी से पर्यावरण एवं जनभागीदारी से ग्रामीणों में पर्यावरण एवं वनसुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना समिति सदस्यों को नियमानुसार बॉस एवं जलाऊ लकड़ी आदि उपलब्ध कराना एवं ग्राम में ही रोजगार के अवसर पैदा करना।
- **प्रबंधन वृत्त का नाम** :– मिश्रित वृक्षारोपण मोहम्मदखेडा
- **परिक्षेत्र का नाम** :– वन परिक्षेत्र देवास
- **बीट का नाम** :– पीएफ वृक्षारोपण
- **सर्वे नंबर (राजस्व)** :– 05/01
- **रकबा** :– 04.053 हेक्टर
- **योजना का लक्ष्य** :– वन घनत्व में वृद्धि करना, ग्राम वन समिति के सदस्यों को रोजगार एवं , वनोपज की उपलब्धता बढ़ाना।
- **लक्ष्य प्राप्ति हेतु किये जाने वाले उपचार** :–

19. वनक्षेत्र में विगत वर्षो में उक्त कक्ष में सफल मिश्रित वृक्षारोपण है। साथ ही उक्त स्थल की मृदा उपजाउ व गुणवत्ता अच्छी है।

20. खाली क्षेत्रों को स्थानीय रूप से उपयुक्त एवं उपयोगी मिश्रित प्रजातियों के रोपण से भरा जा सकता है।

21. जिन क्षेत्रों में मृदा अपरदन की संभावना है वहां मिश्रित वृक्षारोपण कर मृदा अपरदन रोका जा सकता है।

22. भू–क्षरण रोकने एवं मृदा तथा जल स्तर के बहाली के लिये उपयुक्त भू–जल संरक्षण उपायो का अपनाया जाना आवश्यक है।

23. क्षेत्र में पुराने वृक्षारोपणों में उचित उपचार द्वारा बेहतर परिणाम प्राप्त किये जा सकते है।

24. इन वनों के पुनः स्थापना के उपाय तक सफल नहीं हो सकते, जब तक चराई, अवैध कटाई, वन अग्नि आदि जैविक दबावों से इन क्षेत्रों को पूर्ण संरक्षण प्रदान न किया जाए।

अतः उपरोक्त सभी उपचारों के साथ–साथ

वनमण्डलाधिकारी
देवास (म. प्र.)

	इन क्षेत्रों का प्रभावी संरक्षण आवश्यक है।
• क्षेत्र का घनत्व एवं वन का प्रकार :–	क्षेत्र का घनत्व 0.2 से 0.3 तक एवं वन का प्रकार Vb
• क्षेत्र का वर्तमान भौतिक स्वरूप एवं मानचित्र में उसकी स्थिति :–	मानचित्र पर उक्त स्थल समतल है। उत्तर – ग्राम मोहम्मदखेडा की सीमा पूर्व – ग्राम मोहम्मदखेडा की सीमा दक्षिण – ग्राम मोहम्मदखेडा की सीमा पश्चिम – ग्राम मोहम्मदखेडा की सीमा
• जी.पी.एस. रीडिंग :–	M. N-23°08'28.34" E-76°17'42.270" N. N-23°08'28.11" E-76°17'53.84" O. N-23°08'23.74" E-76°17'53.66" P. N-23°08'25.06" E-76°17'41.88"
• लक्ष्य प्राप्ति की समय–सीमा :–	पौधों की बढ़त धीरे–धीरे होती है, तीन वर्ष बाद पौधें में बढ़त आती है। योजना 11 वर्ष आवश्यक है।
• अनुश्रवण की व्यवस्था :–	प्रथम वर्ष में कार्यो का अनुश्रवण परिक्षेत्र सहायक एवं द्वितीय वर्ष में वन परिक्षेत्राधिकारी एवं इसके पश्चात हर वर्ष उप वनमंडलाधिकारी एवं परिक्षेत्र अधिकारी के द्वारा निरीक्षण कर पुस्तिका में लेख किया जाएगा।
• सुरक्षा हेतु किये जाने वाले उपाय :–	विभागीय स्वीकृति से चेनलिंक फेसिंग की जाकर, बागड़ लगाकर तथा विभाग के माध्यम से सुरक्षा श्रमिक द्वारा सुरक्षा कार्य कराया जाएगा। बीटगार्ड व परिक्षेत्र सहायक द्वारा घूमफिर कर क्षेत्र की सुरक्षा कार्य किया जाएगा।
• क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले वन्यप्राणी एवं जल स्त्रोत :–	राजस्व क्षेत्र में जरक, लंगूर, खरहा, भेड़की, जंगली सुअर मोर, सियार, नीलगाय, तेन्दूआं आदि वन्यप्राणी पाए जाते है।
• कार्य समाप्ति पश्चात उपयोगिता प्रमाण–पत्र :–	वित्तीय वर्ष के पश्चात वित्तीय वर्ष में किए गए कार्य की प्रगति दर्शाते हुए प्रमाण–पत्र परिक्षेत्र सहायक, परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा वन मंडल में दिया जाएगा।
• प्रत्येक कार्यो हेतु संधारित किये जाने अभिलेख :–	निरीक्षण पुस्तिका, एमबी बुक आदि।
• क्षेत्र की जलाऊ एवं चारागाह की वर्तमान मांग एवं उपलब्धि :–	चारागाह गॉव के मवेशियों के आधार एवं उपलब्धता के आधार पर घांस 10 प्रतिशत दिया जावेगा। लगभग शेष पूर्ति स्वयं करेंगें। ताकि वन घनत्व कम न होवें।
• विगत वर्षों में किये गये वानिकी कार्य के परिणाम यदि विगत 10 वर्षों में कोई कार्य किया हो तो। :–	विगत वर्षों में वानिकी कार्य नहीं कराए गए, किन्तु प्राकृतिक पुनरूत्पादन हुआ है। जड़ भण्डारन, पुनरूत्पादन पर्याप्त है। घांस की उपलब्धता सुकली एवं गुंदराड़ी है।

वन परिक्षेत्र अधिकारी वन परिक्षेत्र क्षै. देवास	उप वनमण्डलाधिकारी उप वनमण्डल क्षैत्र देवास	वन मण्डलाधिकारी वन मण्डल क्षैत्र देवास

क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण – पत्र

बिगड़ें वनों के सुधार योजना अंतर्गत मिश्रित वृक्षारोपण मोहम्म्दखेडा पीएफ क्षेत्र समिति जमोनिया संलग्न प्रोजेक्ट अनुसार देवास वनपरिक्षेत्र के राजस्व सर्वे नंबर 05/01 जिसका कुल रकबा 04.053 हे. रोपण हेतु उपयुक्त है। क्षेत्र का वन घनत्व 0.2से 0.3 है,

वनपरिक्षेत्र अधिकारी
वनपरिक्षेत्र क्षै. देवास

उपवनमण्डल अधिकारी
उपवनमण्डल देवास (सा.)

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल देवास (सा)

रोपण स्थल प्रमाण – पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मोहम्मदखेडा पीएफ क्षेत्र समिति रायपुर संलग्न प्रोजेक्ट अनुसार देवास वनपरिक्षेत्र के राजस्व सर्वे नंबर 05/01 जिसका कुल रकबा 04.053 हे. रोपण हेतु उपयुक्त है। रोपण वर्ष 2024–25 का निरीक्षण किया गया। मृदा की गहराई औसत 03 फीट है। जो कि रोपण के लिए उपयुक्त होकर बीएल–2, यूएस–2 के समतुल्य है। मृदा का परिक्षण कराया गया। क्षेत्र का वन घनत्व 0.2 से 0.3 है। जो कि रोपण हेतु उपयुक्त है।

वनपरिक्षेत्र अधिकारी
वनपरिक्षेत्र क्षै. देवास

उपवनमण्डल अधिकारी
उपवनमण्डल देवास (सा.)

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल देवास (सा)

राष्ट्रीय राजमार्ग कमांक 47 पुराना एनएच 59 ए इंदौर हरदा मार्ग को फोरलेन किये जाने हेतु वन भूमि क्षतिपूर्ति हेतु वृक्षारोपण (असिंचित)
(क्षेत्रफल– 4.053 हेक्टेयर खसरा कमांक 5/1) भाग –1

मिश्रित वृक्षारोपण मोहम्मदखेड़ा क्षेत्र का विवरण   समिति जमोनिया   रकबा 4.053 हेक्टेयर

N-23°08'26.06"
E-76°17'47.14"

क्षेत्र तैयारी वर्ष–योजना का प्रथम वर्ष 2024–25   393.27 मा.दि.
संख्या 1000 पौधे प्रति हेक्टेयर

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	कुल राशि	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	सर्वे एवं सीमांकन हे0	4.053	ha	0.45	प्रति हे0	2	717	जॉबदर
2	पक्के मुनारों का निर्माण	4	मुनारा	16	प्रति मुनारा	64	25169	गणना के आधार पर
3	ट्रीटमेंट टाइप का क्षेत्र में सीमांकन (सामग्री सहित) हैक्ट.	4.053	ha	1.00	-	4	1594	अनुमानित
4	क्षेत्र सफाई (हे0)	4.053	ha	4.00	प्रति हे0	16	6376	जॉबदर
5	लेण्टाना उन्मूलन कार्य क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार (मध्यम)	4	ha	12.50	प्रति हेक्ट	50	19664	जॉबदर
6	वृक्षारोपण क्षेत्र का घेराव 1.8 मी. ऊंची, 75 mm X 75 mm की मेस साइज, 12 गेज चेनलिंक फेंसिंग से करने पर, साथ ही सीमेंट के पोल 2.50 मी. के अंतराल पर लेने पर। इसके अतिरिक्त 6 मी/प्रति किलो की नुकीली तार की 03 लाईनों में भी लगाई जायेगी। सीमेंट पोल को 75 30 cm X 30 cm X 45 cm के गडढों में 1:2:4 के सीमेंट कांक्रीट से भरा जायेगा।	913		2.4	Rmt	2191	861733	गणना के आधार पर
8	गड्ढ़ा खुदाई हेतु स्टेकिंग एवं एलाइनमेंट	4053	गड्डे	2.5	प्रति हजार	12.5	4916	जॉबदर
7	रोपण हेतु गडढ़ा खुदाई कार्य जेसीबी मशीन से 45x45x45 cm.	4053	गड्डे	5	प्रति सैकडा	202.65	79696	[illegible]
8	गड्ढ़ों में मिट्‌टी बदलने हेतु कय आयतन का 30 प्रतिशत	110.8	घ0मी0	1.5	प्रति घ0मी0	204	80227	बाजार दर
9	गोबर खाद डालने हेतु कय आयतन का 15 प्रतिशत	55.4	घ0मी0	3	प्रति घ0मी0	204	80227	बाजार दर
10	उपजाऊ मिट्‌टी, स्थानीय मिट्‌टी एवं आर्गेनिक खाद का मिश्रण तैयार कर गडढ़ों में डालना	4053	गड्डे	1.5	100	60.795	23909	जॉबदर
11	01 हट निर्माण		L.S.			120	47192	अनुमानित
12	सुरक्षा एवं रखरखाव कार्य 01 श्रमिक द्वारा	4	माह	393.27	10225	104	40900	अनुमानित
12	अन्य व्यय (निरीक्षण पथ, सूचना बोर्ड, पेंट, चूना आदि)					300	117981	अनुमानित
	योग					3535	1390301	
13	भू–जल संरक्षण कार्य 25 प्रतिशत	4	हे0	24.5	24.5 प्रति हे0	884	347575	अनुमानित
	कुल योग					4419	3128178	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
वन परिक्षेत्र क्षै. देवास

उप वनमण्डलाधिकारी
उप वनमण्डल क्षैत्र देवास

वन मण्डलाधिकारी
वन मण्डल क्षैत्र देवास

मिश्रित वृक्षारोपण **मोहम्मदखेड़ा** क्षेत्र का विवरण

रकबा 4.053 हेक्टेयर

योजना का द्वितीय वर्ष 2025–26

393.27 (असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	कुल राशि	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	रोपणी कार्य							
	प्रथम रोपण हेतु पौधा क्रय संख्या	4053	पौधे	20	20/प्रति पौधा	206	81060	बाजार दर
	मृत पौधों को बदलने हेतु पौधा संख्या 20 प्रति.	810	पौधे	20	20/प्रति पौधा	41	16200	बाजार दर
2	पौधों का परिवहन (संख्या)							
	ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा	4864	पौधे	1.5	100	72.954	28691	जॉबदर
	सिर बोझ द्वारा 1 कि0मी0	4864	पौधे	0.4	प्रति सैकड़ा	19.4544	7651	जॉबदर
3	लेंटाना मापिंग अप आपरेशन	4	हेक्टेयर	8	प्रति हेक्ट	32	12585	जॉबदर
4	रोपण							
	45x45x45 cm.	4053	गड्डे	1.8	प्रति सैकड़ा	72.954	28691	जॉबदर
5	प्रथम निंदाई							
	पौधों में	4053		1.25	100	51	19924	जॉबदर
6	द्वितीय निंदाई							
	पौधों में	4053		1	100	41	15939	जॉबदर
7	तृतीय निंदाई							
	पौधों में	4053		1	100	41	15939	जॉबदर
8	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	4053		0.6	प्रति सैकड़ा	24	9564	जॉबदर
9	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
	6 मीटर चौड़ी	1000	mtr	3.35	किमी	3	1317	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	2000	mtr	2.25	किमी	5	1770	जॉबदर
10	सुरक्षा 1 श्रमिक 12 माह		1x12			312	122700	अनुमानित
11	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)					250	98318	अनुमानित
					योगः–	1171	460348	

योजना का तृतीय वर्ष 2026–27

393.27 (असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	कुल राशि	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	रोपणी व्यय (10 प्रतिशत पौधों के पुर्नरोपण हेतु)	405	पौधे	20	20/प्रति पौधा	21	8106	बाजार दर
2	पौधों का परिवहन (संख्या)							बाजार दर
	ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा	405		1.5	100	6	2391	जॉबदर
	सिर बोझ द्वारा 1 कि0मी0	405		0.4	सैकड़ा	2	638	जॉबदर
3	चेनलिंक फेंसिंग मरम्मत कार्य (मीटर)					20	7865	अनुमानित
4	प्रथम निंदाई							
	पौधों में	4053		1.25	100	51	19924	जॉबदर
5	द्वितीय निंदाई							
	पौधों में	4053		1	100	41	15939	जॉबदर
6	तृतीय निंदाई							
	पौधों में	4053		1	100	41	15939	जॉबदर
7	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	4053		0.6	सैकड़ा	24	9564	जॉबदर
8	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
	6 मीटर चौड़ी	1000	mtr	3.35	किमी	3	1317	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	2000	mtr	2.25	किमी	5	1770	जॉबदर
9	सुरक्षा समिति द्वारा/ 1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			312	122700	अनुमानित
10	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)					250	98318	अनुमानित
	योगः–					774	304471	

वनपरिक्षेत्राधिकारी
देवास (म. प्र.)

मिश्रित वृक्षारोपण **मोहम्मदखेड़ा** क्षेत्र का विवरण

रकबा 4.053 हेक्टेयर

393.27 (असिंचित)

योजना का चतुर्थ वर्ष 2027–28

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	कुल राशि	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	रोपणी व्यय (10 प्रतिशत पौधों के पुर्नरोपण हेतु)	405	पौधे	20	20 / प्रति पौधा	21	8106	बाजार दर
2	पौधों का परिवहन (संख्या)							बाजार दर
	ट्रक / ट्रैक्टर द्वारा	405	पौधे	1.5	100	6	2391	जॉबदर
	सिर बोझ द्वारा 1 कि0मी0	405	पौधे	0.4	सैकड़ा	2	638	जॉबदर
3	प्रथम निंदाई पौधों में	4053	पौधे	1.25	100	51	19924	जॉबदर
4	द्वितीय निंदाई पौधों में	4053	पौधे	1	100	41	15939	जॉबदर
5	तृतीय निंदाइ पौधों में	4053	पौधे	1	100	41	15939	जॉबदर
6	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	4053	पौधे	0.6	सैकड़ा	24	9564	जॉबदर
7	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
	6 मीटर चौड़ी	1000	mtr	3.35	किमी	3	1317	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	2000	mtr	2.25	किमी	5	1770	जॉबदर
8	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			312	122700	अनुमानित
9	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)					250	98318	अनुमानित
	योगः–					754	296605	

393.27

योजना का पंचम वर्ष 2028–29

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	कुल राशि	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	चेनलिंक फेंसिंग मरम्मत कार्य (मीटर)					100	39327	अनुमानित
2	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
	6 मीटर चौड़ी	1000	mtr	3.35	किमी	3	1317	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	2000	mtr	2.25	किमी	5	1770	जॉबदर
3	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			312	122700	अनुमानित
4	अन्य व्यय					300	117981	अनुमानित
	योगः–					720	283095	

393.27 (असिंचित)

योजना का षष्ठम वर्ष 2029–30

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	कुल राशि	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
	6 मीटर चौड़ी	1000	mtr	3.35	किमी	3	1317	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	2000	mtr	2.25	किमी	5	1770	जॉबदर
6	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			312	122700	अनुमानित
7	अन्य व्यय					250	98318	अनुमानित
	योगः–					570	224105	

वनपरिक्षेत्राधिकारी
देवास (म. प्र.)

मिश्रित वृक्षारोपण **मोहम्मदखेड़ा** क्षेत्र का विवरण

रकबा 4.053 हेक्टेयर

योजना का सप्तम वर्ष 2030–31 (असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	कुल राशि	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
	6 मीटर चौड़ी	1000	2000 mtr	3.35	किमी	3	1317	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	2000	6000 mtr	2.25	किमी	5	1770	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			312	122700	अनुमानित
3	अन्य व्यय					250	98318	अनुमानित
					योगः–	570	224105	

क्षेत्र तैयारी वर्ष–योजना का अष्टम वर्ष 2031–32 **393.27** (असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	कुल राशि	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	चेनलिंक फेंसिंग मरम्मत कार्य (मीटर)					100	39327	अनुमानित
2	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
	6 मीटर चौड़ी	1000	mtr	3.35	किमी	3	1317	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	2000	mtr	2.25	किमी	5	1770	जॉबदर
3	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			312	122700	अनुमानित
4	अन्य व्यय					300	117981	अनुमानित
	योगः–					720	283095	

योजना का नवम वर्ष 2032–33 **393.27** (असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	कुल राशि	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
	6 मीटर चौड़ी	1000	mtr	3.35	किमी	3	1317	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	2000	mtr	2.25	किमी	5	1770	जॉबदर
6	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			312	122700	अनुमानित
7	अन्य व्यय					250	98318	अनुमानित
	योगः–					570	224105	

योजना का दशम वर्ष 2033–34 (असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	कुल राशि	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
	6 मीटर चौड़ी	1000	2000 mtr	3.35	किमी	3	1317	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	2000	6000 mtr	2.25	किमी	5	1770	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			312	122700	अनुमानित
3	अन्य व्यय					250	98318	अनुमानित
					योगः–	570	224105	

वनपरिक्षेत्राधिकारी
देवास (म. प्र.)

मिश्रित वृक्षारोपण मोहम्मदखेड़ा क्षेत्र का विवरण — रकबा 4.053 हेक्टेयर

योजना का एकादश वर्ष 2034–35 — 393.27 (असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	कुल राशि	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
	6 मीटर चौड़ी	1000	mtr	3.35	किमी	3	1317	जौंबदर
	3 मीटर चौड़ी	2000	mtr	2.25	किमी	5	1770	जौंबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा/ 1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			312	122700	अनुमानित
3	अन्य व्यय					150	58991	अनुमानित
	योग–					470	184778	

गोश्वारा

वर्ष	प्रस्तावित (मानव दिवस)	6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि लेने पर गुणांक	प्रस्तावित मानव दिवस	कुल राशि
प्रथम वर्ष (क्षेत्र तैयारी) वर्ष 2024–25	4419	1	4419	3128178
द्वितीय वर्ष (रोपण रखरखाव) वर्ष 2025–26	1171	1.06	1241	460348
तृतीय वर्ष (मृत्यारोपण रखरखाव) वर्ष 2026–27	774	1.124	870	304471
चतुर्थ वर्ष (मृत्यारोपण रखरखाव) वर्ष 2027–28	754	1.191	898	296605
पंचम वर्ष (सुरक्षा एवं रखरखाव) वर्ष 2028–29	720	1.263	909	283095
षष्टम वर्ष (सुरक्षा एवं रखरखाव) वर्ष 2029–30	570	1.338	763	224105
सप्तम वर्ष (सुरक्षा एवं रखरखाव) वर्ष 2030–31	570	1.419	808	224105
अष्टम वर्ष (सुरक्षा एवं रखरखाव) वर्ष 2031–32	720	1.504	1083	283095
नवम वर्ष (सुरक्षा एवं रखरखाव) वर्ष 2032–33	570	1.594	908	224105
दशम वर्ष (सुरक्षा एवं रखरखाव) वर्ष 2033–34	570	1.69	963	224105
एकदश वर्ष (सुरक्षा एवं रखरखाव) वर्ष 2034–35	470	1.79	841	184778
कुल योग (अ)			13703	5836990
आस्था मूलक कार्य राशि का 05 प्रतिशत		5%		291850
मानव संसाधन कार्य राशि का 01 प्रतिशत		1%		58370
मूल्यांकन/अनुश्रवण राशि का 04 प्रतिशत		4%		233480
कुल योग (ब)		Total :-		583699
योग (अ+ब)				6420689
पर्यवेक्षक शुल्क कुल राशि रू. का 10 प्रतिशत (स)		10%		642069
महायोग (अ+ब+स)		Grand Total :-		7062758

वन परिक्षेत्र अधिकारी
वन परिक्षेत्र क्षै. देवास

उप वनमण्डलाधिकारी
उप वनमण्डल क्षैत्र देवास

वन मण्डलाधिकारी
वन मण्डल क्षैत्र देवास

क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण – पत्र

बिगड़ें वनों के सुधार योजना अंतर्गत मिश्रित वृक्षारोपण मोहम्मदखेडा पीएफ क्षेत्र समिति जमोनिया संलग्न प्रोजेक्ट अनुसार देवास वनपरिक्षेत्र के राजस्व सर्वे नंबर 05/01 जिसका कुल रकबा 04.053 हे. रोपण हेतु उपयुक्त है। क्षेत्र का वन घनत्व 0.2से 0.3 है,

वनपरिक्षेत्र अधिकारी वनपरिक्षेत्र क्षै. देवास	उपवनमण्डल अधिकारी उपवनमण्डल देवास (सा.)	वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल देवास (सा)

उपचार मानचित्र

क्षतिपूर्ति वनीकरण मिश्रित वृक्षारोपण वर्ष 2024-25 वन परिक्षेत्र देवास परिक्षेत्र सर्कल टोंकखुर्द उत्तर

बीट पमोनिया कक्ष क्रंमांक सर्वे 5/1 रकबा 4.05 हैक्टर ग्राम वन समिति का नाम पमोनिया

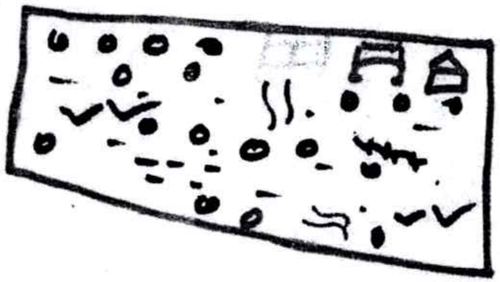

संकेत :–

वृक्षारोपण सीमा	————
क्षेत्र सफाई	— - - - -
गड्डा खुदाई	oooo
पत्थर मुरमा मेंड़	✓✓
चैक डेम	
कंटूर ट्रेंच	— - — - —
निरीक्षण पथ	=
झोपड़ी	
साइनबोर्ड	
मेंड़	

बीट गार्ड

परिक्षेत्र सहायक
टोंकखुर्द उत्तर

वन परिक्षेत्र अधिकारी
वन परिक्षेत्र क्षै. देवास

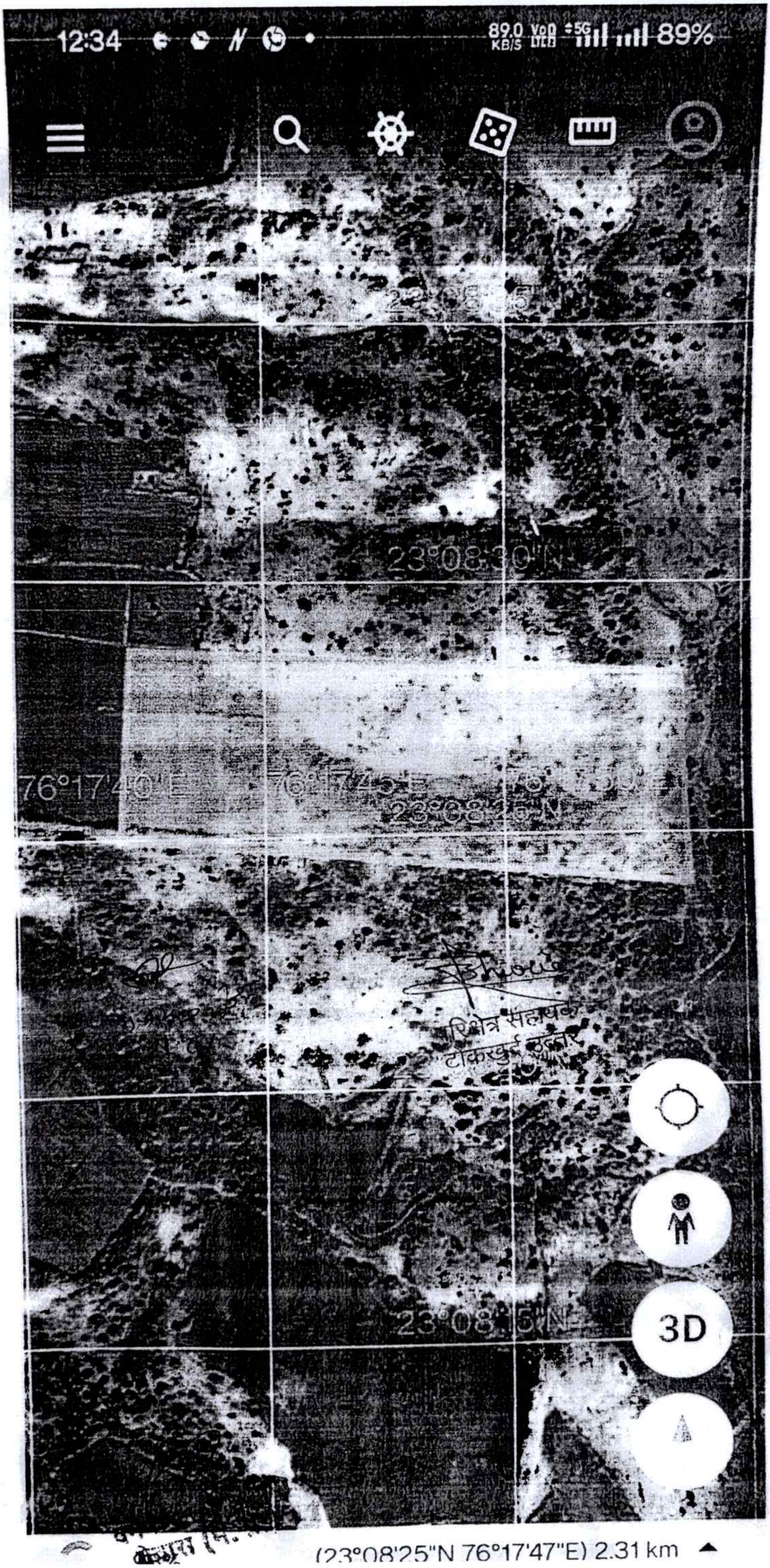
12:34
89%
23°08'30"N
76°17'40"E
3D
(23°08'25"N 76°17'47"E) 2.31 km

बैठक

समिति का नाम - सा.व.प्र.स. जमोनिया   वनपरिक्षेत्र - देवास
उपवनमण्डल - देवास   वनमण्डल - देवास

क्र.	कार्यवाही का विवरण
02/11/24	आज दिनांक को सा.व.प्र.स. जमोनिया की बैठक ग्राम के भैरव बाबा मंदिर पर आयोजित की गई। जिसमें समिति अध्यक्ष समिति सचिव व अन्य सदस्यगणों की आपसी विचार विमर्श से निम्न ठहराव प्रस्ताव किये गये।

प्रस्ताव	ठहराव
1. समिति सचिव द्वारा प्रस्ताव रखा गया कि देवास जिले में NH47 इन्दौर हरदा मार्ग फोरलेन करने हेतु वनभूमि के एवज में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु सर्वे नं. 5/1 4.053 हेक्टेयर राजस्व भूमि पर सर्वे सीमांकन कार्य, क्षेत्र सफाई, गड्ढा खुदाई, परक्युलेशन टैंक, कटूर ट्रेंच, चैकडेम, झोपड़ी, गेट लगवाई, साइनबोर्ड आदि कार्य किये जाएं।	1. सभी सदस्यों की सहमति से प्रस्ताव पारित किया गया।

समिति अध्यक्ष द्वारा सभी का आभार प्रदर्शित कर बैठक समाप्ती की घोषणा की गई।

कैलाश   राजेन्द्र   Alok
सुरेश   हरिसिंह   अशोक
मोहन   दिलीप   विक्रम   महेश   मनुपुरा

म.प्र. शासन – वन विभाग

कार्यालय वन मण्डल अधिकारी, वन मण्डल (क्षेत्रीय) देवास (म.प्र.)

☎ O: (07272) 253020, R (07272) 252449 Email- dfodewas@mpforest.org, dfodewas@rediffmail.com

क्रमांक / DM / 2025 / 1181 देवास, दिनांक 07/02/2025

प्रति,

परियोजना निदेशक
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन ईकाई हरदा

विषय :– देवास जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 47 (पुराना NH-59A) इन्दौर–हरदा मार्ग को फोरलेन किए जाने हेतु 39.367 हे. (ऑनलाईन आवेदित 40.053 हे.) वनभूमि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, हरदा को उपयोग पर देने बाबद।
online proposal no. FP/MP/Road/149883/2021)

संदर्भ :– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल का पत्र क्र. 6–एमपीआर 043/2023–बीएचओ/I/74902 एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध) भोपाल का पत्र क्र./एफ–5/1313/2023/10–11/3201 दिनांक 19.06. 2024 , वन संरक्षक उज्जैन वृत्त उज्जैन का पत्र क्र. 650 दिनांक 04.02.2025 एवं आपका पत्र क्र. 5733 दिनांक 20.01.2025।

–––00–––

उपरोक्त संदर्भित प्रकरण में देवास वनमण्डल में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 47 (पुराना NH-59A) इन्दौर–हरदा मार्ग को फोरलेन किए जाने हेतु 39.367 हे. (ऑनलाईन आवेदित 40.053 हे.) वनभूमि का व्यपवर्तन की प्रथम चरण की सशर्त स्वीकृति भारत सरकार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा प्रदान की गयी है। स्वीकृति में दी गयी शर्त क्र. 4 के पालन में रोड़ किनारे वृक्षारोपण योजना तैयार कर मुख्य वन संरक्षक उज्जैन के आदेश क्र. 10 दिनांक 04.02.2025 से तकनीकी स्वीकृति जारी की गयी है। रोड़ किनारे वृक्षारोपण योजना की राशि ऑनलाईन पोर्टल पर केम्पा मद में जमा कर रसीद एवं सैद्धांतिक स्वीकृति में दी गयी समस्त शर्तो का पालन प्रतिवेदन वचन पत्र सहित प्रस्तुत करें।

क्र.	अधिरोपित शर्त क्र.	मद का नाम	आवेदक संस्थान से वसूल की जाने वाली राशि (रूपये में)		मद
			अंको में	शब्दों में	
1	4	रोड़ किनारे वृक्षारोपण की राशि	2,42,20,000/–	रू. दो करोड़ बायलीस लाख बीस हजार मात्र	केम्पा मद (https://parivesh.nic.in/)
कुल			2,42,20,000/–	रू. दो करोड़ बायलीस लाख बीस हजार मात्र	

[signature] 7/2/25
वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल(क्षेत्रीय), देवास

o/c

पृ.कमांक/ DM/2025/1182 देवास, दिनांक 07/02/2025

प्रतिलिपि –

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध) वन भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ सादर संप्रेषित।
2. वन संरक्षक उज्जैन वृत्त उज्जैन की ओर सूचनार्थ सादर सप्रेंषित।

[signature]
वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल(क्षेत्रीय), देवास

o/c

.d:\dm data_new\dm letter all\dm letter all 2025.docx139

मध्यप्रदेश शासन वन विभाग
कार्यालय वन संरक्षक, उज्जैन वृत्त उज्जैन (म.प्र.)
उद्यन मार्ग, दमदमा, उज्जैन (म.प्र.)-456010

Ph. (0734) 2512101
E-Mail : ccf.ujn@mp.gov.in Fax (0734) 2512102

क्रमांक/तकनीकी/2025/ 650 उज्जैन, दिनांक 4/2/2025

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल
देवास

विषयः— देवास जिले मे राष्ट्रीय राजमार्ग क्रं. 47 (पुराना एनएच—59ए) इन्दौर—हरदा मार्ग को फोरलेन किये जाने हेतु 39.367 हे. आरक्षित वनभूमि के प्रकरण मे मार्ग के दोनो ओर वृक्षारोपण हेतु प्राक्कलन प्रस्तुत करने बाबद।

संदर्भ :— आपका पत्र क्रं./कैम्पा/2025/160 दिनांक 29—01—2025 ।

—00—

विषयांतर्गत आपके द्वारा संदर्भित पत्र से देवास जिले मे वनमण्डल अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग क्रं. 47 (पुराना एनएच—59ए) इन्दौर—हरदा मार्ग को फोरलेन किये जाने हेतु 39.367 हे. आरक्षित वनभूमि के प्रकरण मे भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी सैद्धांतिक स्वीकृति क्रं. 6—एमपीआर043/2023—बीएचओ/I/74902 दिनांक 18—06—2024 मे उल्लेखित शर्त क्रं. A-4 के पालन मे मार्ग के दोनो ओर रकबा 39.367 हे. मे उपलब्ध चैनेज अनुसार वृक्षारोपण के 05 वर्षीय प्रस्ताव निम्नानुसार तकनीकी अनुमोदन हेतु इस कार्यालय को प्रेषित किये है।

क्रं.	कार्य का नाम	कक्ष क्रं.	रकबा (हे. मे)	उपलब्ध चैनेज मे रोपित किये जाने वाले पौधो की संख्या	प्रथम वर्ष की राशि (लाख मे)	योजना की राशि (लाख मे)
1	रोड़ किनारे वृक्षारोपण (वर्ष 2025—26 से 2029—30)	21, 20, 28, 131, 104, 105, 130, 149, 844, 95, 96, 97, 100, 784	36.367	7338	143.15	242.20

उपरोक्त प्रेषित प्रस्ताव का तकनीकी अनुमोदन किया जाकर प्रति आपकी ओर अवलोकनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न अग्रेषित है।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार ।

(एम.आर. बघेल)
भा.व.से.
मुख्य वन संरक्षक
उज्जैन वृत उज्जैन

क्रमांक/तकनीकी/2025/ 651 उज्जैन, दिनांक 4/2/2025

प्रतिलिपि :—

01— अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू—प्रबंध) म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।

02— परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन ईकाई हरदा (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य वन संरक्षक
उज्जैन वृत उज्जैन

आदेश द्वारा एम.आर. बघेल (भा.व.से.) मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक, उज्जैन वृत्त उज्जैन

:: आदेश ::

आदेश क्रमांक/तकनीकी/2025/ 10 उज्जैन, दिनांक 04/02/2025

प्रकरण अन्तर्गत वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमंडल देवास द्वारा उनके पत्र क्रं. /कैम्पा/2025/160 दिनांक 29-01-2025 से देवास जिले मे वनमण्डल देवास अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग क्रं. 47 (पुराना एनएच-59ए) इन्दौर-हरदा मार्ग को फोरलेन किये जाने हेतु 39.367 हे. आरक्षित वनभूमि के प्रकरण मे भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी सैद्धांतिक स्वीकृति क्रं. 6-एमपीआर043/2023-बीएचओ/I/74902 दिनांक 18-06-2024 मे उल्लेखित शर्त क्रं. A-4 के पालन मे मार्ग के दोनो ओर रकबा 39.367 हे. में उपलब्ध चैनेज अनुसार वृक्षारोपण के 05 वर्षीय प्रस्ताव निम्नानुसार तकनीकी अनुमोदन हेतु इस कार्यालय को प्रेषित किये है।

क्रं.	कार्य का नाम	कक्ष क्रं.	रकबा (हे. मे)	उपलब्ध चैनेज मे रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या	प्रथम वर्ष की राशि (लाख मे)	योजना की राशि (लाख मे)
1	रोड़ किनारे वृक्षारोपण (वर्ष 2025-26 से 2029-30)	21, 20, 28, 131, 104, 105, 130, 149, 844, 95, 96, 97, 100, 784	36.367	7338	143.15	242.20

म.प्र. बुक ऑफ फायनेंशनल पॉवर 2022 वॉल्यूम-2 में वन विभाग को प्रदत्त अधिकार के बिंदु क्रमांक 20 में निहित एवं प्रदत्त वित्तीय अधिकारों का उपयोग करते हुए वनमण्डलाधिकारी, (सा.) वनमण्डल, देवास को मार्ग के दोनो ओर वृक्षारोपण किये जाने (वर्ष 2025-26 से 2029-30) हेतु उपरोक्त क्षेत्र मे तालिका मे दर्शित प्रस्तावित राशि की Provisional तकनीकी स्वीकृती निम्न शर्तो के अध्यधीन प्रदान की जाती है :-

1) समस्त कार्य स्वीकृत जॉब दरो निर्धारित नार्म्स एवं बजट प्रावधानो के अन्तर्गत ही कराये जावे। यदि किसी कार्य की जॉब दर स्वीकृत न हो तो, स्वीकृती हेतु दर प्रस्तुत की जावे।
2) कार्य की गुणवत्ता उत्तम हो।
3) क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना हेतु म.प्र. शासन वन विभाग के ज्ञाप क्र./डी./3202/3827/2001/10/3 दिनांक 7 दिसंबर 2001 एवं क्रमांक-एफ-03-11/2018 /10-2 दिनांक 14 मई 2019 से प्रसारित दिशा निर्देशों की कडाई से पालना सुनिश्चित करें।
4) क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना हेतु मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल के पत्र क्र./572 दिनांक 07-02-2002 एवं 79 दिनांक 08-01-2018 में निहित निर्देशों की कडाई से पालना की जावें।
5) सामग्री क्रय करते समय म.प्र. भण्डार क्रय एवं सेवा उपार्जन अधिनियम 2015 की धारा 7, 9, 10 एवं 11 के भण्डार नियमो का पालन अनिवार्य रूप से किया जावे। भण्डार क्रय नियमो के अन्तर्गत अनुसूची 'अ' में सम्मिलित सामग्री म.प्र. लघु उद्योग निगम अथवा भारत सरकार के गर्वमेंट ई-मार्केट पोर्टल से ही क्रय की जावे। जो सामग्री राशि रू. 2.50 लाख के अन्दर तक की कोटेशन द्वारा प्राप्त की जानी है, उसे क्रय समिति से परीक्षण कराया जावे, अनुमोदन वनमण्डलाधिकारी द्वारा किया जावे।
6) फेसिंग पोल/जाली/तार/लोहा/स्टील एवं अन्य सभी क्रय सामग्रियों का सत्यापन उपवनमण्डलाधिकारी द्वारा किया जावेगा। क्रय तथा उपयोग की सामग्री स्टोर पंजी में स्टोर प्रभारी द्वारा अनिवार्यतः इंद्राज की जावेगी, जिसकी पुष्टि वन परिक्षेत्राधिकारी द्वारा की जावेगी।
7) प्रस्तावित कार्य का वनमण्ड़लाधिकारी/उपवनमण्ड़लाधिकारी/वन परिक्षेत्राधिकारी द्वारा कार्य अवधि में न्यूनतम 25% वनमण्ड़लाधिकारी, 50% उपवनमण्ड़लाधिकारी एवं वन परिक्षेत्राधिकारी द्वारा 100% स्थल निरीक्षण अनिवार्य किया जावेगा।
8) वनमण्ड़लाधिकारी यह सुनिश्चित करे कि, कार्य आयोजना में निहित प्रावधानों के विपरीत कोई कार्य न हो। यदि विचलन की आवश्यकता हो तो तदनुसार प्रस्ताव तैयार कर इस कार्यालय को भेजे तथा स्वीकृती उपरांत ही कार्य कराये जावे।
9) शासन तथा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी प्रशासनिक, आर्थिक तथा तकनीकी निर्देशों के पालन की जवाबदारी वनमण्ड़लाधिकारी की रहेगी।

10) मौके पर कार्य करने वाले कर्मचारी के पास स्वीकृती की प्रति, माप पुस्तिका, प्रस्तावित माप डिजाईनिंग एवं मानचित्र उपलब्ध होना आवश्यक है।

11) वनमण्ड़लाधिकारी सुनिश्चित करें, कि पूर्व में प्रस्तावित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य तो नही कराया गया है। स्वीकृत क्षेत्र का स्थल परिवर्तन मान्य नही होगा। यदि कोई स्थल कार्य योग्य नही है तो उस स्थल पर कार्य नही कराया जाकर स्वीकृत राशि समर्पित कर अवगत कराया जावे।

12) स्वीकृत कार्य समाप्ति उपरांत, स्वीकृति अनुसार किये गये कार्यो का कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र मे इस कार्यालय को भेजा जावे।

13) मुख्यतः कार्य मजदूरो से कराया जावे, अत्यंत आवश्यक होने पर मजदूरो की उपलब्धता न होने पर ही यांत्रिकी साधन से कार्य कराया जावे।

14) स्थल पर रोपण होने पर मानक आकार के पौधे लगाये जावे।

15) रोपण मूल्यांकन हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक, म.प्र. भोपाल के पत्र क्रं. 3410 एवं दिनांक 13-11-2013 के आधार पर रिकॉर्ड रखा जावे एवं वृक्षारोपण पंजी मे चस्पा किया जावे।

16) माप पुस्तिका पर कराये गए कार्यो की प्रविष्टि उपरांत वन परिक्षेत्राधिकारी, उपवनमण्ड़लाधिकारी के हस्ताक्षर लिये जावे।

17) किये गये कार्यो की प्रविष्टि कक्ष इतिहास, ई–ग्रीन वॉच पोर्टल, Plantation Monitoring System एवं MIS Portal मे समय–समय पर की जावे।

18) वनमण्ड़लाधिकारी प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि नियम 2018 (CAF Rules 2018) के निर्देशो का पालन सुनिश्चित करेगें।

19) स्वीकृत राशि व्यय की अधिकतम सीमा है। परियोजना स्थल पर व्यय मितव्ययता रखते हुए कार्य किये जावे।

20) श्रमिकों को श्रमायुक्त द्वारा निर्धारित देय न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित किया जावे।

21) क्षेत्र घेराव हेतु फैंसिंग पर Green Hedge अनिवार्य रुप से तैयार किये जावे।

22) योजना मे रोपित किये जाने वाले पौधो का जीवितता प्रतिशत 75 प्रतिशत से अधिक होना अनिवार्य है।

23) प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक 558 दिनांक 10-06-2020 द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।

24) उपरोक्त प्राक्कलन Provisional तकनीकी स्वीकृती प्रदान की गई है। कार्य समाप्त होनें के उपरांत मौके पर वास्तव में कराये गए कार्य अनुसार तकनीकी प्राक्कलन आपके द्वारा प्रस्तुत किये जानें पर अंतिम रुप से तकनीकी स्वीकृती दी जावेगी।

(एम.आर. बघेल)
भा.व.से.
मुख्य वन संरक्षक
उज्जैन वृत उज्जैन

पृष्ठांकन क्रमांक/तकनीकी/2025/649 उज्जैन, दिनांक 4/2/2025

1) महालेखाकार, (ऑडिट) ग्वालियर, म.प्र. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

2) वनमण्डलाधिकारी, (सा.) वनमण्ड़ल, देवास की ओर उनके पत्र क्रं./कैम्पा/2025/160 दिनांक 29–01–2025 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित।

मुख्य वन संरक्षक
उज्जैन वृत उज्जैन

कार्यालय वनपरिक्षेत्र अधिकारी, वनपरिक्षेत्र, देवास

Email ID : rodewas@gmail.com, Ph: 07272-224077

क्रमांक/DM/2025/ 290 देवास, दिनांक/ 25.1.25

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी महोदय
वन मण्डल (क्षे) देवास (म.प्र.)

द्वारा :– उप वनमण्डलाधिकारी महोदय उप वनमण्डल क्षेत्रीय देवास।

विषय :– देवास जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग कमांक 47 (पुराना एनएच–59A) इन्दौर–हरदा मार्ग के दोनो ओर रकबा 39.367 में वृक्षारोपण हेतु प्राक्कलन प्रस्तुत करने बाबद्।

संदर्भ :– श्रीमान वनमण्डलाधिकारी महोदय वनमण्डल क्षे. देवास का पत्र कमांक/321 देवास, दिनांक 08.01.2025

—※※※—

उपरोक्त विषय एवं संदर्भित पत्र के पालन में निवेदन है, कि वन परिक्षेत्र देवास अंतर्गत वर्ष 2025–26 हेतु देवास जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग कमांक 47 (पुराना एनएच–59A) इन्दौर–हरदा मार्ग के दोनो ओर रकबा 39.367 में वृक्षारोपण हेतु प्राक्कलन तैयार किया गया है, जो निम्नानुसार है :–

क.	वृक्षारोपण का प्रकार एवं कक्ष कमांक	वर्ष	रकबा	प्रथम वर्ष राशि	कुल राशि
1	रोड़ किनारे वृक्षारोपण कक्ष कमांक 21,20,28,131,104,105, 130,149,844,95, 96,97,100 ,784	2025-26 से 2029-30	39.367हे.	14315321	24220289

अतः श्रीमानजी की सेवा में उक्त प्रोजेक्ट स्वीकृति हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्न :– 01 प्रोजेक्ट तीन तीन प्रतियों में

वनपरिक्षेत्र अधिकारी
वनपरिक्षेत्र, देवास (सा0)

कार्यालय उप वन मण्डलाधिकारी (क्षे.) देवास (म.प्र.)
क्रमांक/DM/2025/211 दिनांक 27-01-2025

प्रति : वन मण्डलाधिकारी (क्षे) देवास
[illegible] NH [illegible] 7338 [illegible] NH के दोनों ओर वृक्षारोपण [illegible] प्रथम वर्ष [illegible] पांच वर्ष [illegible] प्रोजेक्ट रिपोर्ट [illegible] स्वीकृति हेतु [illegible]

उप वन मण्डलाधिकारी
उप वन मण्डल (क्षेत्रीय) देवास

आवक 263 27.01.2025

27 JAN 2025
1384

रोड़ किनारे वृक्षारोपण योजना

राष्ट्रीय राजमार्ग क्रं.47 (पुराना NH- 59A) इन्दौर–हरदा
मार्ग के दोनो ओर वृक्षारोपण

वन परिक्षेत्र देवास, पानीगांव, बागली एवं जिनवानी

वन मण्डल क्षेत्रीय देवास

M.P. FOREST DEPARTMENT
150 years.

वन वृत्त उज्जैन

वर्ष 2025-26
से 2029-30

रकबा 39.367 हेक्टर

क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण – पत्र

राष्ट्रीय राजमार्ग कमांक 47 (पुराना एनएच–59A) इन्दौर–हरदा मार्ग के दोनो ओर वृक्षारोपण अंतर्गत कक्ष कमांक 21,20,28,131,104,105,130,149,844,95,96,97,100 ,784 कुल रकबा 39.367 हेक्टर क्षेत्र में पौधा रोपण हेतु उपयुक्त हैं वन क्षेत्र का घनत्व 03 से 0.7 है एवं US2 प्रकार का है। इस प्रकार का क्षेत्र रोपण हेतु उपयुक्त है। संलग्न chainage अनुसार रोपण कार्य किया जावेगा।

वनपरिक्षेत्र अधिकारी वनपरिक्षेत्र क्षै. देवास	उपवनमण्डल अधिकारी उपवनमण्डल क्षै. देवास	वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल क्षै.देवास

रोपण स्थल प्रमाण – पत्र

राष्ट्रीय राजमार्ग कमांक 47 (पुराना एनएच–59A) इन्दौर–हरदा मार्ग के दोनो ओर वृक्षारोपण अंतर्गत कक्ष कमांक 21,20,28,131,104,105,130,149,844,95, 96,97,100 ,784 कुल रकबा 39.367 हेक्टर रोपण वर्ष 2025–26 का निरीक्षण किया गया। मृदा की गहराई औसत 02 से 03 फीट है। जो कि रोपण के लिए उपयुक्त होकर US2 के समतुल्य है। क्षेत्र का वन घनत्व 0.2 से 0.3 है, जो कि रोपण हेतु उपयुक्त है। रोपण का chair range अनुसार रोपण कार्य किया जावेगा।

वनपरिक्षेत्र अधिकारी वनपरिक्षेत्र क्षै. देवास	उपवनमण्डल अधिकारी उपवनमण्डल क्षै. देवास	वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल क्षै.देवास

राजमार्ग क्रं. 47 (पुराना एनएच–59A) इन्दौर–हरदा मार्ग के दोनो ओर वृक्षारोपण

प्रथम भाग

- योजना का नाम :– रोड़ किनारे वृक्षारोपण
- योजना का उद्देश्य :– रोड़ साईड वृक्षारोपण में हरियाली के लिए
- परिक्षेत्र का नाम :– वन परिक्षेत्र देवास
- बीट का नाम :– वन परिक्षेत्र देवास, पानीगांव, बागली एवं जिनवानी
- कक्ष क्रंमाक :– 21,20,28,131,104,105,130,149,844,95, 96,97,100,784
- कक्ष का क्षेत्रफल :– 39.367 हेक्टर
- ग्राम वन समिति :– ग्राम वन समिति राधोगढ, झिकड़ाखेड़ा
- योजना का लक्ष्य :– रोड़ साईड वृक्षारोपण में हरियाली के लिए
- जी.पी.एस. रीडिंग :– संलग्न है।
- लक्ष्य प्राप्ति की समय–सीमा :– पौधों की बढ़त धीरे–धीरे होती है, तीन वर्ष बाद पौधें में बढ़त आती है। योजना 05 वर्ष आवश्यक है
- अनुश्रवण की व्यवस्था :– पौधा रोपण कार्यो का अनुश्रवण परिक्षेत्र सहायक द्वारा निरंतर कराया जायेगा एवं वनरक्षक द्वारा वृक्षारोपण की सुरक्षा की जावेगी। वन परिक्षेत्र अधिकारी. उप वनमंडलाधिकारी तथा वनमण्डल अधिकारी के द्वारा निर्देशानुसार निरीक्षण कर पुस्तिका में लेख किया जाएगा। ग्रीन केडिट प्रोग्राम के निर्देश अनुसार बाहरी संस्थाओं एवं विभागीय अधिकारियों द्वारा वर्ष में दो बार मूल्यांकन किया जावेगा।
- सुरक्षा हेतु किये जाने वाले उपाय :– विभागीय स्वीकृति से चेनलिंक फेसिंग की बागड़ लगाकर तथा समिति के माध्यम से सुरक्षा श्रमिक द्वारा सुरक्षा कार्य कराया जाएगा। बीटगार्ड व परिक्षेत्र सहायक द्वारा घूमफिर कर क्षेत्र की सुरक्षा कार्य किया जाएगा।
- कार्य संमाप्ति पश्चात उपयोगिता प्रमाण–पत्र :– वित्तीय वर्ष के पश्चात वित्तीय वर्ष में किए गए कार्य की. प्रगति दर्शाते हुए प्रमाण–पत्र परिक्षेत्र सहायक, परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा वन मंडल में दिया जाएगा।
- रोड़ के दोनो ओर रोपित किये जाने वाले पौधे

I पंक्ति	II पंक्ति	III पंक्ति
कनेर	कचनार	गुलमोहर
बोगनविलिया	केसिया सायमा	अमलतास
	सिल्वर रोक	सीसस
	III पंक्ति	नीम
	शीशम	लसोड़ा
	शीशू	पीपल
	जामून	करंज

- प्रत्येक कार्यो हेतु संधारित किये जाने अभिलेख वृक्षारोपण पंजी, निरीक्षण पुस्तिका, एमबी बुक, मेंप आदि का संधारण किया जावेगा।

वन परिक्षेत्र अधिकारी
वन परिक्षेत्र क्षै. देवास

उप वनमण्डलाधिकारी
उप वनमण्डल क्षैत्र देवास

वन मण्डलाधिकारी
वन मण्डल क्षैत्र देवास

[illegible] राजमार्ग कमांक 47 (पुराना एनएच--59A) इन्दौर–हरदा मार्ग के दोनो ओर रकबा 39.367 में वृक्षारोपण हेतु प्राक्कलन

[illegible] (Dewas Range) 21,20,28 (Panigaon) 131,104,105,133,149 (Bagli)
[illegible] 844 (Jinwani) 95,96,97,100,784

रकबा 39.367 हेक्टेयर

क्षेत्र तैयारी योजना का प्रथम वर्ष 2025–26

393.27 मा.दि.

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	कुल राशि	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	सर्वे एवं सीमांकन कार्य	39.367	ha	0.45	प्रति हे0	18	6967	जॉबदर
2	सीमांकन कार्य (सामग्री सहित)	39.367	ha	1.00	प्रति हे0	39	15482	अनुमानित
3	क्षेत्र सफाई (हे0)	39.367	ha	4.00	प्रति हे0	157	61927	जॉबदर
4	वृक्षारोपण क्षेत्र का घेराव 1.8 मी. ऊंची, 75 mm X 75 mm की मेस साइज, 12 गेज चेनलिंक फेंसिंग से करने पर, साथ ही सीमेंट के पोल 2.00 मी. के अंतराल पर लेने पर। इसके अतिरिक्त 6 मी/प्रति किलो की बारबेड वायर की 03 लाईनों में भी लगाई जायेगी। सीमेंट पोल को 30 cm X 30 cm X 45 cm के गडढों में 1:3:6 के सीमेंट, रेत, गिट्टी के मिश्रण से भरा जायेगा।	18456	Rmt	665.86	प्रति र.मी.	31249	12289168	विस्तृत प्राक्कन संलग्न है।
5	रोड़ के दोनो और गडडें अलाईमेंट कार्य प्रथम पंक्ति में 3X3 मीटर के अंतराल पर द्वितीय पंक्ति में 3X6 मीटर के अंतराल पर तृतीय पंक्ति में 3X9 मीटर के अंतराल पर	7338	गड्डे	2.5	प्रति हजार	18345	7215	जॉबदर
6	रोपण हेतु गडढ़ा खुदाई कार्य 60x60x60 cm.	7338	गड्डे	10	प्रति सैकड़ा	73380	288582	जॉबदर
7	गड्ढ़ों में मिट्टी बदलने हेतु मिट्टी कय आयतन (गड्डों के आयतन का 30 प्रतिशत)	476	घ0मी0		प्रति घ0मी0	696	330950	टेंडर रेंट
8	गोबर खाद डालने हेतु कय आयतन का 15 प्रतिशत	238	घ0मी0		प्रति घ0मी0	740	175936	टेंडर रेंट
9	उपजाऊ मिट्टी एवं गोबर खाद का मिश्रण तैयार कर गडढ़ों में डालना	7338.	गड्डे	1.5	प्रति मा.दि.	11007	43287	जॉबदर
11	लोहे के गेट 2X3 फिट	26	गेट	-	-	12000	312000	बाजार दर
12	लोहे के बोर्ड जमीन से उपर 04 फीट (3X3 fit)	9	गेट	-	-	8000	72000	बाजार दर
13	सुरक्षा एवं रखरखाव कार्य 05 श्रमिक द्वारा	12	माह	393.27	प्रति मा.दि.	1560	613501	अनुमानित
14	अन्य व्यय (चुना, रस्सी, सिंचाई, लेजम आदि)	-	-	-	-	250	98307	अनुमानित
	योग					36401	14315321	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
वन परिक्षेत्र क्षै. देवास

उप वनमण्डलाधिकारी
उप वनमण्डल क्षैत्र देवास

वन मण्डलाधिकारी
वन मण्डल क्षैत्र देवास

[illegible] 47 (पुराना ए.एच-59A) इन्दौर-हरदा मार्ग के दोनो ओर रकबा 39.367 में वृक्षारोपण

फैंसिंग कार्य का प्राक्कलन

[illegible] 393.27 रकबा :- 39.367

क्र.	कार्य का विवरण	मात्रा	ईकाई	मा.दि.	दर	ईकाई	राशि रू. में
	[illegible] कार्य 18456 र.मी.	18456					
1	आरसीसी पोल कय	10151	नग	-	268	प्रति नग	2720414
2	बारवेड वायर कय 3 लाईन में	9228	कि.ग्रा.	-	99.12	प्रति कि.ग्रा.	914679
3	चैनलिंक फेंसिंग 1.50 मी. कय	27684	वर्ग मी.	-	146.32	प्रति वर्ग मी.	4050723
4	पोल फिक्सिंग हेतु गड्डे अलाईमेंट कार्य	10151	नग	2.5	0.98	प्रति नग	9980
5	पोल फिक्सिंग हेतु गड्डे खुदाई कार्य 30X30X45 में	10151	नग	3.8	14.94	प्रति नग	151696
6	सिरबोझ परिवहन आर.सी.सी. पोल मा.दि.	260	मा.दि.	-	393.27	प्रति मा.दि.	102250
7	आर.सी.सी. पोल फिक्सिंग 1: 3 : 6 में (sor item No.4.1.1.4) Cement 1788 bag X 388 = 693744 Rait 186.232 cmt X 2000 = 372464 Metel 372.465 cmt X 1930 = 718857 **Total :- 1785065**	411.11	घ.मी.	-	3890	प्रति घ.मी.	1599208
8	बाईडिग वायर	300	कि.ग्रा.		178	प्रति कि.ग्रा.	53400
9	चैनलिंक फैसिंग एवं बारवेड वायर खिचना एवं बांधना (03 लाईन में)	18456	rmt.	0.16	62.9232	per rmt	1161311
10	पोल की रंगाई-पुताई कार्य (पेंट क्रय सहित)	18456	Nos	-	80	per Nos	1476480
13	अन्य व्यय						49027
					योग :-		**12289168**

वन परिक्षेत्र अधिकारी वन परिक्षेत्र क्षै. देवास	उप वनमण्डलाधिकारी उप वनमण्डल क्षै. देवास	वन मण्डलाधिकारी वन मण्डल क्षै. देवास

रकबा 39.367 हेक्टेयर

393.27 (असिंचित)

योजना का द्वितीय वर्ष 2026–27

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	कुल राशि	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	प्रथम रोपण हेतु पौधा क्रय संख्या	7338	पौधे	-	300 / प्रति पौधा	5598	2201400	बाजार दर
	मृत पौधों को बदलने हेतु पौधा संख्या 20 प्रति.	1468	पौधे	-	300 / प्रति पौधा	1120	440400	बाजार दर
2	पौधों का परिवहन (संख्या)							
	ट्रक / ट्रैक्टर द्वारा नर्सरी रोपण स्थल तक	9100	पौधे	-	6रू. प्रति पौधा	6	54598	जॉबदर
	सिर बोझ द्वारा 1 कि0मी0	7338	पौधे	0.4	प्रति सैकड़ा	2935.2	11543	जॉबदर
3	पौधा रोपण कार्य 60X60X60 के गड्ढों में	7338	पोधे	2.00	प्रति सैकड़ा	146.76	57716	जॉबदर
4	प्रथम निंदाई पौधों में	7338	पोधे	1.25	प्रति सैकड़ा	9173	36073	जॉबदर
5	द्वितीय निंदाई पौधों में	7338	पोधे	1	प्रति सैकड़ा	73	28858	जॉबदर
6	तृतीय निंदाई पौधों में	7338	पोधे	1	प्रति सैकड़ा	73	28858	जॉबदर
7	रासायनिक खाद कय	2	क्विंटल			10000	20000	मार्केट दर
7	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	7338	पौधे	0.6	प्रति सैकड़ा	44	17315	जॉबदर
8	वृक्षारोपण में सिंचाई कार्य अक्टुम्बर से मार्च तक कुल 24 सिंचाई (1.25 मा.दि.) 4.91 रू. प्रति पौधा से माह में 04 बार फरवरी तक एवं मार्च में 06 बार कुल 26 बार सिंचाई प्रति राशि 36030 रू.	26	सिंचाई	1.25	प्रति सैकड़ा मा.दि.	492	937890	मार्केट दर
9	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन 3 मी. चौड़ी दो बार	12000	mtr	2.25	किमी	27	10618	जॉबदर
10	सुरक्षा एवं रखरखाव कार्य 05 श्रमिक द्वारा	12	माह	393.27	10225	1560	613501	अनुमानित
11	अन्य व्यय					250	98318	अनुमानित
					योगः–	31497	4557088	

योजना का तृतीय वर्ष 2027–28 39.367 रकबा हे.

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	कुल राशि	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	रोपणी व्यय (20 प्रतिशत पौधों के पुर्नरोपण हेतु)	1467	पौधे	300	300 / प्रति पौधा	1119	440100	बाजार दर
2	पौधों का परिवहन (संख्या)							बाजार दर
	ट्रक / ट्रैक्टर द्वारा	1467	पौधे	-	6रू. प्रति पौधा	6	8802	जॉबदर
	सिर बोझ द्वारा 1 कि0मी0	1467	पौधे	0.4	सैकड़ा	6	2308	जॉबदर
3	मृत्यारोपण कार्य	1467	पोधे	1.50	प्रति सैकड़ा	22.005	8654	जॉबदर
3	प्रथम निंदाई पौधों में	7338	पौधे	1.25	100	92	36073	जॉबदर
4	द्वितीय निंदाई पौधों में	7338	पौधे	1	100	73	28858	जॉबदर
5	तृतीय निंदाई पौधों में	7338	पौधे	1	100	73	28858	जॉबदर
6	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	7338	पौधे	0.6	सैकड़ा	44	17315	जॉबदर
7	वृक्षारोपण में सिंचाई कार्य अक्टुम्बर से मार्च तक कुल 24 सिंचाई (1.25 मा.दि.) 4.91 रू. प्रति पौधा से माह में 04 बार फरवरी तक एवं मार्च में 06 बार कुल 26 बार सिंचाई प्रति राशि 36030 रू.	26	सिंचाई	1.25	प्रति सैकड़ा मा.दि.	492	937890	मार्केट दर
9.	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन 3 मी. चोड़ी दो बार	12000	mtr	2.25	किमी	27	10618	जॉबदर
10	सुरक्षा समिति द्वारा / 05 सुरक्षा श्रमिक		12 माह	393.35		312	613501	अनुमानित
11	अन्य व्यय					250	98318	अनुमानित
	योगः–					2516	2231294	

योजना का चतुर्थ वर्ष 2028–29 — 39.367 रकबा हे. — 393.27 मा.दि.

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	कुल राशि	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	रोपणी व्यय (10 प्रतिशत पौधों के पुर्नरोपण हेतु)	734	पौधे	300	300/प्रति पौधा	560	220050	बाजार दर
2	पौधों का परिवहन (संख्या)							बाजार दर
	ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा	734	पौधे	-	6रू. प्रति पौधा	6	4401	जॉबदर
	सिर बोझ द्वारा 1 कि0मी0	734	पौधे	0.4	प्रति सैकड़ा	3	1154	जॉबदर
3	प्रथम निंदाई पौधों में	7338	पौधे	1.25	100	92	36073	जॉबदर
4	द्वितीय निंदाई पौधों में	7338	पौधे	1	100	73	28858	जॉबदर
5	तृतीय निंदाइ पौधों में	7338	पौधे	1	100	73	28858	जॉबदर
6	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	7338	पौधे	0.6	सैकड़ा	44	17315	जॉबदर
7	वृक्षारोपण में सिंचाई कार्य अक्टुम्बर से मार्च तक कुल 24 सिंचाई (1.25 मा.दि.) 4.91 रू. प्रति पौधा से माह में 04 बार फरवरी तक एवं मार्च में 06 बार कुल 26 बार सिंचाई प्रति राशि 36030 रू.	26	सिंचाई	1.25	प्रति सैकड़ा मा.दि.	492	937890	मार्केट दर
8	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन 3 मी. चोड़ी दो बार	12000	mtr	2.25	किमी	27	10618	जॉबदर
9	सुरक्षा समिति द्वारा/ 05 सुरक्षा श्रमिक		12 माह	393.27	मा.दि.	1560	613501	अनुमानित
10	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)					250	98318	अनुमानित
	योगः–					3180	1997036	

योजना का पंचम वर्ष 2029–30 — 39.367 हेक्टेयर

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	कुल राशि	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	चेनलिंक फेंसिंग मरम्मत कार्य (मीटर)					400	157308	अनुमानित
2	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन 3 मी. चोड़ी दो बार	12000	mtr	2.25	किमी	27	10618	जॉबदर
3	सुरक्षा समिति द्वारा/ 05 सुरक्षा श्रमिक		12 माह	393.27	मा.दि.	1560	613501	अनुमानित
4	अन्य व्यय					250	98318	अनुमानित
	योगः–					2237	879745	

गोश्वारा

वर्ष	प्रति हेक्टर	प्रति पौधा	प्रति मा.दि.	कुल राशि
प्रथम वर्ष (क्षेत्र तैयारी) वर्ष 2025–26	363638	1950.85	36400.7	14315321
द्वितीय वर्ष (रोपण रखरखाव) वर्ष 2026–27	115759	621.026	11587.7	4557088
तृतीय वर्ष (मृत्यारोपण रखरखाव) वर्ष 2027–28	56679	304.074	5673.7	2231294
चतुर्थ वर्ष (मृत्यारोपण रखरखाव) वर्ष 2028–29	50729	272.15	5078.03	1997036
पंचम वर्ष (सुरक्षा एवं रखरखाव) वर्ष 2029–30	22347	119.889	2237	879745
योग :–			60977.2	23980484
अनुश्रवण व्यय			1%	239805
महायोग :–				24220289

वन परिक्षेत्र अधिकारी
वन परिक्षेत्र क्षै. देवास

उप वनमण्डलाधिकारी
उप वनमण्डल क्षैत्र देवास

वन मण्डलाधिकारी
वन मण्डल क्षैत्र देवास

Portal Home | | Administration & Settings | Logout

Main Menu

[iccems mp admin1]
State- Madhya Pradesh
20 Mar 2025, 16:33:29 IST

e-GreenWatch

FCA Projects, Diverted Land, CA Land Management

Home FCA-1980 Projects Diverted Lands CA Lands Reports

INFORMATION

SUCCESS: The FCA project has been Registered sucessfully. You can now edit the project details and lock for ID:55029

Project Name : **Four laning of Indore-Harda Section of NH-59 A (New NH-47)** Year : **2024**

- To Register a new FCA Project, please click here [Register a New FCA Project]
- To Edit details of Existing FCA Project, Please click here [Edit the Existing FCA Project Details]
- To Lock the Details of FCA Project, Please click here [Lock FCA Projects]
- [Add CA Land / Site Details to the Project] Please click here to add the CA Site/Land Details to the Project.

Online Help/Query

Status of the Payment made by User Agencies

Help

Click on **Proposal No.** to view Detail of proposal. Click on **Demand letter** to view Uploaded demand letter.

CA : Compensatory Afforestation; Addl CA : Additional Compensatory Afforestation; PCA : Penal Compensatory Afforestation; CAT : Catchment Area Treatment; Addl PA : Additional Charges for protected area; NPV : Net Present Value;

To be Verified : This icon shows that the details of the Funds submittted by User Agency are yet to be verified by Nodal Officer.

Verified : This icon shows that the demand has been verified by Nodal Officer.

Challan Generated : This icon shows that the challan has been generated.

Unpaid : This icon shows that the payment yet to be made.

Paid : This icon shows that the payment has been made.

◉ **Proposals received on or after 15th July 2014** ○ **All Proposals received upto 14th July 2014**

Select Region : Bhopal

Select State : Madhya Pradesh

Select User Agency : Select

Payment Status : ◉ **Paid** ○ **Unpaid** ○ **All**

Bank Name : --Select All--

Mode of Payment : --Select All--

Transaction Date (From) :

Transaction Date (To) :

Enter value for Search : FP/MP/ROAD/149883/2021

SEARCH

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/MP/ROAD/149883/2021 (../viewreport.aspx?pid=FP/MP/ROAD/149883/2021) Four laning of Indore-Harda Section of NH-59 A (New NH-47)	ROAD1498832021077	18 Jun 2024	**CA:** 32081895/- , **Addl CA :** 0/- **PCA:** 0/- , **CAT :** 0/- **Safety Zone:** 0/- , **Addl PA :** 0/- **NPV:** 0/- , **Road side plantation :** 24220000/- **Total :** 56301895/-	Paid	**Fund Demand Verified by Nodal Officer On** : 13 Feb 2025 **Bank Name** : Union Bank Of India **Mode of Payment** : NEFT/RTGS (Challan) **Challan Generated On** : 03 Mar 2025 **Transaction Date** : 24 Feb 2025	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/130220251144309958_FPMPROAD1498832021_User_Fu Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD14988320210
2	FP/MP/ROAD/149883/2021 (../viewreport.aspx?pid=FP/MP/ROAD/149883/2021) Four laning of Indore-Harda Section of NH-59 A (New NH-47)	ROAD1498832021304	18 Jun 2024	**CA:** 0/- , **Addl CA :** 0/- **PCA:** 0/- , **CAT :** 0/- **Safety Zone:** 0/- , **Addl PA :** 0/- **NPV:** 48365903/- , **na :** 0/- **na :** 0/- **na :** 0/- **na :** 0/- **Total :** 48365903/-	Paid	**Fund Demand Verified by Nodal Officer On** : 11 Jul 2024 **Bank Name** : Union Bank Of India **Mode of Payment** : NEFT/RTGS (Challan) **Challan Generated On** : 28 Dec 2024 **Transaction Date** : 15 Oct 2024	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/050720241225134925_FPMPROAD1498832021_User_Fu Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD14988320213

© Content Owned, Updated and Maintained by Ministry of Environment,Forest and Climate Change, Government of India